अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

(पैरा 1.1 में संदर्भित)

आर्थिक और सेवा मंत्रालय/विभाग

क्र. सं.	आर्थिक और सेवा मंत्रालय
1.	नागर विमानन
2.	कोयला
3.	वाणिज्य और उद्योग
4.	कारपोरेट कार्य
5.	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम
6.	आवासन और शहरी कार्य
7.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
8.	खान
9.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
10.	विद्युत
11.	सड़क परिवहन और राजमार्ग
12.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
13.	इस्पात
14.	वस्त्र
15.	पर्यटन
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय का विभाग
1.	रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग
	वित्त मंत्रालय के विभाग
2.	वित्तीय सेवाएं विभाग
3.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

अनुलग्नक-II
(पैरा 1.1 में संदर्भित)

केन्द्रीय स्वायत्त निकायों की सूची

क्र.सं.	केंद्रीय स्वायत्त निकाय का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग
1.	राजीव गांधी राष्ट्रीय उड्डयन विश्वविद्यालय	नागर विमानन
2.	हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण	
3.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन	कोयला
4.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	वाणिज्य और उद्योग
5.	रबड़ बोर्ड	
6.	मसाला बोर्ड	
7.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	
8.	कॉफी बोर्ड	
9.	तंबाकू बोर्ड	
10.	भारतीय चाय बोर्ड	
11.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	
12.	निर्यात निरीक्षण परिषद	
13.	फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान	
14.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल	
15.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट	
16.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण	कारपोरेट कार्य
17.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	
18.	भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड	
19.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड	आर्थिक मामलों का विभाग
20.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड	वित्तीय सेवाएं विभाग
21.	पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण	
22.	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण	वित्त
23.	स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ट्रस्ट	
24.	स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राईजेज़	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम
25.	नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड	

26.	राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना कार्यान्वयन सोसायटी	
27.	राजघाट समाधि समिति	आवासन और शहरी कार्य
28.	दिल्ली शहरी कला आयोग	
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	
30.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	
31.	कॉयर बोर्ड	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
32.	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	
33.	तेल उद्योग विकास बोर्ड	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
34 ।	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड	
35.	राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान	
36.	विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग
37.	चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट	
38.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	
39.	भारतीय मेरीटाइम विश्वविद्यालय	
40.	न्यू मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट	
41.	वीओ चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट	
42.	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट	
43.	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट	
44.	मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट	
45.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट	
46.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट	
47.	प्रमुख बंदरगाहों का टैरिफ प्राधिकरण	
48.	नाविक भविष्य निधि संगठन	
49.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड	
50.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट	
51.	पारादीप पोर्ट ट्रस्ट	
52.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो	विद्युत
53.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग	
54.	केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग	
55.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान	

56.	भारतीय सड़क कांग्रेस	सड़क परिवहन और राजमार्ग
57.	केंद्रीय रेशम बोर्ड	वस्त्र
58.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड	
59.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली (श्रीनगर और रायबरेली के साथ)	
60.	कपड़ा समिति	

अनुलग्नक-III
(पैरा 1.5 में संदर्भित)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है (मार्च 2019 तक जारी अनुदानों तक	शेष यूसीज़ जो मार्च 2019 तक जारी अनुदानों के संबंध में 31.03.2020 तक देय थे	
		लंबित यूसीज़ के नंबर	राशि (करोड़ ₹ में)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1985-1986 से 2013-14	239	347.47
	2014-15	101	1,321.56
	2015-16	72	174.51
	2016-17	216	2,142.77
	2017-18	294	2,692.68
	2018-19	672	5,987.15
	कुल	**1,594**	**12,666.14**
वित्तीय सेवाएं विभाग	2015-16	10	140.96
	2016-17	11	1,707.56
	2017-18	11	604.89
	2018-19	7	614.22
	कुल	**39**	**3,067.63**
वस्त्र मंत्रालय	1978-79 से 2013-14	446	8.89
	2014-15	319	17.37
	2015-16	429	124.37
	2016-17	332	582.01
	2017-18	366	23.10
	2018-19	690	40.61
	कुल	**2,582**	**796.35**
भारी उद्योग विभाग	2003-04 और 2013-14	2	7.63
	2015-16	3	8.74
	2016-17	6	3.76
	2017-18	20	70.33
	2018-19	23	306.05
	कुल	**54**	**396.51**

रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग	2018-19	22	292.09
	कुल	**22**	**292.09**
पर्यटन मंत्रालय	2010-11 से 2013-14	10	9.36
	2014-15	7	32.83
	2015-16	9	37.10
	2016-17	13	81.02
	2017-18	7	39.56
	2018-19	2	23.36
	कुल	**48**	**223.23**
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	2006-07 से 2013-14	132	19.79
	2014- 15	42	3.54
	2015-16	52	5.21
	2016-17	1	0.80
	2017-18	98	124.14
	2018-19	9	38.11
	कुल	**33434**	**191.59**
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	2015-16	2	8.85
	2016-17	1	4.40
	2017-18	6	103.84
	2018-19	14	49.43
	कुल	**23**	**163.52**
वाणिज्य विभाग	2006-07 से 2013-14	17	74.37
	2015-16	1	2.00
	2016-17	2	15.30
	2017-18	6	35.35
	कुल	**26**	**127.02**
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	2015-16	5	6.76
	2016-17	7	17.61
	2017-18	6	48.81
	2018-19	4	26.22
	कुल	**22**	**99.40**

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	2014-15 से 2017-18	1	91.66
	कुल	**1**	**91.66**
उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने का विभाग	2014-15	1	1.42
	2016-17	12	3.95
	2018-19	9	24.42
	कुल	**22.00**	**29.79**
इस्पात मंत्रालय	2014-15 से 2017-18	6	11.21
	2018-19	10	5.46
	कुल	**16**	**16.67**
खान मंत्रालय	2017-18	7	1.24
	2018-19	28	14.87
	कुल	**35**	**16.11**
सार्वजनिक उद्यम विभाग	2012-13 और 2013-14	13	0.71
	2014-15	3	0.17
	2015-16	31	2.80
	कुल	**47**	**3.68**
	कुल योग	**4,865**	**18,181.39**

अनुलग्नक-IV
(पैरा 1.6 में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जिनके लेखा विलम्ब से प्रस्तुत किए गए

क्र.सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखा प्रस्तुत करने की तारीख	महीनों में विलंब
1.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, कोलकाता	18-जनवरी-21	19
2.	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, (गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य), गुरूग्राम	24-अगस्त-20	14
3.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	13-दिसंबर-19	6
4.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली	15-नवंबर-19	5
5.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद	14-नवंबर-19	5
6.	भारतीय पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	10-नवंबर-19	4
7.	कॉफी बोर्ड, हैदराबाद	4-नवंबर-19	4
8.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	1-नवंबर-19	4
9.	नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई	11-अक्टूबर-19	3
10.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर	19-सितंबर-19	3
11.	राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट, नई दिल्ली	11-सितंबर-19	2
12.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	29-अगस्त-19	2
13.	मसाला बोर्ड, कोच्चि	21-अगस्त-19	2
14.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चैन्नई	19-अगस्त-19	2
15.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	13-अगस्त-19	1
16.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा	12-अगस्त-19	1
17.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	9-अगस्त-19	1
18.	हवाईअड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	1-जुलाई-19	1
19.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई	3-जुलाई-19	1
20.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	2-जुलाई-19	1

21.	कॉयर बोर्ड, कोच्चि	11- जुलाई-19	1
22.	प्रमुख पतनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण, मुंबई	26-जुलाई-19	1
23.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई	17-जुलाई-19	1
24.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	15-जुलाई-19	1
25.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	15-जुलाई -19	1
26.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	लेखा प्राप्त नहीं	
27.	भारतीय सड़क कांग्रेस, नई दिल्ली	लेखा प्राप्त नहीं	

अनुलग्नक-V
(पैरा 1.7 में संदर्भित)

स्वायत्त निकाय जिनके संबंध में लेखापरीक्षित लेखा संसद में प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम
	वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए	
1.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुम्बई	वित्तीय सेवाएं विभाग
	वर्ष 2017-18 के लिए	
2.	राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	नागर विमानन
3.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई	वित्तीय सेवाएं विभाग
4.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्रशासित प्रदेश), गुरुग्राम	विद्युत
	वर्ष 2018-19 के लिए	
5.	कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद	कोयला
6.	स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुम्बई	वित्तीय सेवाएं विभाग
7.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (गोवा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश), गुरुग्राम	विद्युत
8.	राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद	विद्युत

अनुलग्नक-VI
(पैरा 1.7 में संदर्भित)

स्वायत्त निकायों द्वारा संसद को वर्ष 2018-19 के लिए लेखापरीक्षित खातों की प्रस्तुति में देरी

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम	मंत्रालय का नाम	महीनों में विलंब
	वर्ष 2018-19 के लिए		
1.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	15
2.	भारतीय पेंशन निधि नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली	वित्त	15
3.	निवेशक शिक्षा संरक्षण फंड अथॉरिटी, नई दिल्ली	कारपोरेट कार्य	14
4.	राष्ट्रीय उद्योग कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट	वाणिज्य और उद्योग	14
5.	दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	13
6.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता	वस्त्र	9
7.	राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली	आवासन और शहरी कार्य	9
8.	भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड, नई दिल्ली	कारपोरेट कार्य	9
9.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद	वस्त्र	9
10.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	3
11.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर	वाणिज्य और उद्योग	2
12.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	2
13.	राजीव गांधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	2
14.	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद	वित्त	1

अनुलग्नक-VII
(पैरा 1.8 में संदर्भित)

केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों के संबंध में महत्वपूर्ण टिप्पणियां

1. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

सेवानिवृत्ति लाभ के लिए लेखाकरण नीति संख्या 9

लेखाकरण मानक 1 के पैरा 24 के अनुसार, "वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को स्पष्ट किया जाना चाहिए"।

सीईआरसी ने अपने कर्मचारियों के लिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (इनडोर/आउटडोर चिकित्सा सुविधाएं) विनियम, 2005 अधिसूचित (17 नवंबर 2005) किया है। इसके बाद, दिनांक 20 नवंबर 2015 की अपनी अधिसूचना के द्वारा, सीईआरसी ने अपनी पिछली अधिसूचना में संशोधन किया ताकि उन कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जा सके जो आयोग से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और उन्होंने आयोग में स्थायी रूप से समाहित होने के बाद कम से कम पांच साल की सेवा दी है। उपरोक्त के सन्दर्भ में, सीईआरसी ने सेवानिवृत्त सीईआरसी कर्मियों की चिकित्सा सुविधा के संबंध में अपने दिशानिर्देश जारी किए (20 जून 2017)।

लेखाकरण मानक 15 के पैरा 24 के अनुसार, सीईआरसी द्वारा अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधा सेवाकाल के उपरान्त लाभ की प्रकृति की है। सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के साथ चिकित्सा सुविधा की नीति को स्पष्ट किया जाना चाहिए था।

2. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली

तुलन पत्र

निर्धारित/विन्यास निधि से निवेश (अनुसूची 9)- ₹547.45 करोड़

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (खातों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियम, 2007 (विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2007 को जारी अधिसूचना) के अनुसार, 'निर्धारित/विन्यास निधियों की तुलना में बैंक बकाया' के रूप में धारित राशि को अनुसूची 11-वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि में अलग से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त में विजया बैंक की सावधि जमा (एक वर्ष की अवधि के लिए) में धारित ₹45.00 करोड़ और विभिन्न योजनाओं अर्थात कॉर्पस फंड, ऊर्जा दक्षता के लिए आंशिक जोखिम गारंटी निधि, ऊर्जा दक्षता, स्टार और लेबलिंग शुल्क आदि के लिए उद्यम पूंजी निधि, के लिए विजया बैंक के बचत और स्वीप खातों में रखे गए ₹452.45 करोड़ शामिल हैं, जिसे निर्धारित निधियों की तुलना में धारित 'अनुसूचित बैंकों के साथ बैंक खाते' के तहत दिखाया जाना चाहिए था।

इसके परिणामस्वरूप 'निर्धारित निधियों से निवेश' (अनुसूची 9) को ₹497.45 करोड़ अधिक बताया गया है और 'वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11) को इसी अनुपात में कम बताया गया है।

3. तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा

तुलन-पत्र

क. निवेश - अन्य (अनुसूची-10): ₹3,82,621.00 लाख

उपरोक्त ₹4,013.00 लाख की अधिक धनराशि, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति के निर्णय के अनुरूप मेसर्स बीको लॉरी लिमिटेड (बीएलएल) के इक्विटी निवेश में कमी न करने के कारण से है। फलस्वरूप; 'व्यय से अधिक आय' की धनराशि भी इसी अनुपात में अधिक दर्शाई गई है।

पिछले वर्षों (2017-18 और 2018-19) के दौरान ओआईडीबी के खातों पर भारत के सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल के इक्विटी शेयरों के निवेश मूल्य में कोई कमी नहीं की है।

ख. चालू परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 11): ₹8,03,260.00 लाख

उपरोक्त 11,065.00 लाख अधिक बताई गई धनराशि इन कारणों से है:

i) बीएलएल को दिए गए ₹1,200.00 लाख के ब्रिज लोन का प्रावधान न होना, हालांकि किश्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, कोई उपयुक्त संभावना नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली की जा सकेगी।

ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, मौजूदा कर्मचारियों की लागत, कर्मचारियों के बकाया वेतन, बैंकों से सुरक्षित ऋण और आकस्मिक देनदारियों पर होने वाले अपेक्षित व्यय को

पूरा करने के लिए, वर्ष 2018-2019 और 2019-20 के दौरान बीएलएल को ₹9,865.00 लाख का ऋण दिया गया जबकि ऐसे ऋण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बीएलएल की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए, कोई उचित निश्चितता नहीं थी कि उपरोक्त ऋण राशि की वसूली की जाएगी।

परिणामस्वरूप, 'व्यय से अधिक आय' के संबंध में भी ₹11,065.00 लाख की अधिक धनराशि बताई गई है।

पिछले वर्षों (2017-18 और 2018-19) में ओआईडीबी के खातों पर सीएजी द्वारा की गई टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने बीएलएल को दिए गए ऋणों के लिए प्रावधान नहीं बनाया।

सामान्य

ग. हाइड्रोजन कॉर्पस निधियों का सृजन और उपयोग

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जून 2003 में ओआईडीबी और तेल पीएसयूज़ के योगदान से हाइड्रोजन कॉर्पस निधि बनाने का फैसला किया। हाइड्रोजन कॉर्पस फंड निधि की स्थापना वर्ष 2004 में ₹100 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ की गई थी। ओआईडीबी ने ₹40 करोड़ का योगदान दिया, आईओसी, ओएनजीसी और गेल प्रत्येक ने ₹16 करोड़ का योगदान दिया और बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों ने हाइड्रोजन कॉर्पस फंड में ₹6 करोड़ का योगदान दिया।

हाइड्रोजन कॉर्पस निधि में भाग लेने वाले संगठनों ने विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के माध्यम से तेल और गैस क्षेत्र में हाइड्रोजन अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों के लिए उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र को नोडल एजेंसी बनाया था। एक लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में, प्रबंधन ने कहा (सितंबर 2020) कि हाइड्रोजन कॉर्पस फंड को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थानांतरित करने के मामले पर ओआईडी बोर्ड में विचार-विमर्श किया गया था (मार्च 2020) जिसमें बेहतर निधि प्रबंधन के लिए वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का निर्णय लिया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2020 तक कॉर्पस निधि में ₹175.76 करोड़ की राशि जमा हो गई थी जिसे ओआईडीबी के खातों के अलावा विभिन्न बैंकों में रखा जा रहा है। इसके अलावा 2019-2020 के दौरान उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा केवल ₹2.25 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था। इस निधि के लिए कोई औपचारिक ऑडिट और

जवाबदेही तंत्र मौजूद नहीं है। अधिक राशि को देखते हुए, इस फंड की वित्तीय स्थिति की निगरानी के लिए एक औपचारिक तंत्र आवश्यक है।

इसके अलावा, चूंकि सभी परियोजनाएं उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा संचालित की जानी हैं, ओआईडीबी को उचित निगरानी और बेहतर उपयोग के लिए उन्हें धन हस्तांतरित करने पर विचार करना चाहिए था ।

पिछले वर्ष (2018-19) में ओआईडीबी के खातों पर सीएजी की टिप्पणियों के बावजूद, बोर्ड ने उचित निगरानी और बेहतर उपयोग के लिए हाइड्रोजन कॉर्पस फंड को उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र में स्थानांतरित करने पर विचार नहीं किया है।

4. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद

तुलन पत्र

क. अचल संपत्ति: ₹14,006.88 लाख

क.1 प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (अनुसूची 6): ₹1,199.40 लाख

उपरोक्त में एनआईडी, अहमदाबाद में न्यू गर्ल्स हॉस्टल बिल्डिंग और एनआईडी, गांधीनगर में स्टूडेंट मेस एंड रिक्रिएशन सेंटर के निर्माण की लागत ₹1,196.35 लाख शामिल हैं। संस्थान को दोनों भवन पहले ही सुपुर्द किए जा चुके है और जुलाई 2018 में संस्थान द्वारा इनका कब्जा भी ग्रहण कर लिया गया था। सुपुर्दगी/कब्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया भी नवंबर 2018 में पूरी की जा चुकी है। वर्ष 2018-19 के लिए संस्थान के खातों के विषय में सीएजी की टिप्पणी संख्या क.1 द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद, संस्थान ने अभी तक इसका पूंजीकरण नहीं किया है और प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में (सीडब्ल्यूआईपी) के तहत ₹1,196.35 लाख का पूरा व्यय रखा गया है। व्यय के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को अधिक बताया गया है और अचल संपत्तियों (भवनों) को ₹1,196.35 लाख कम बताया गया है।

व्यय के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप मूल्यह्रास का प्रभार नहीं लिया गया और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए मूल्यह्रास निधि को कम करके और पूंजीगत निधि को ₹ 59.53 लाख बढ़ाकर बताया गया।

ख. वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि (अनुसूची 8): ₹10,852.27 लाख

ख.1 अर्जित आय: ₹397.15 लाख

उपरोक्त में अन्य परियोजना प्राप्तियों की राशि ₹358 लाख और ₹7 लाख सेवा शुल्क शामिल हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं। संस्थान ने न तो इन पुरानी प्राप्तियों की वसूली की थी और न ही उसके पास वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए खातों में संदिग्ध वसूली के लिए कोई प्रावधान की नीति है। गैर-प्रावधान के परिणामस्वरूप चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों और अधिशेष को तुलन पत्र में ₹365 लाख तक बढ़ा कर दिखाया गया है। वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के एसएआरज़ में इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बावजूद, संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए खातों में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

5. कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु

क. आय और व्यय खाता

आय - ₹227.65 करोड़

बोर्ड के पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड (एएस)-12 अनुदानों के लिए लेखांकन और लेखाओं का एकसमान प्रारूप के पैरा 14 के प्रावधानों के तहत आवश्यक 'आस्थगित आय' के रूप में लेखांकन के बजाय सरकारी अनुदान से खरीदी गई संपत्ति के लिए एसेट अकाउंट को डेबिट करके और कॉर्पस निधि में जमा करने की लेखांकन प्रणाली मौजूद है। इसके परिणामस्वरूप (i) आय और (ii) व्यय से अधिक आय को ₹2.63 करोड़ कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप आस्थगित आय को भी कम करके और कॉर्पस/पूंजीगत निधि को ₹92.91 करोड़ अधिक बताया गया है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप सरकारी अनुदानों से खरीदी गई परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यह्रास पद्धति का अनुपालन नहीं किया गया है, जैसा कि खातों के समान प्रारूप की अनुसूची 8 के नोट और अनुदान के लिए लेखाकरण मानक (एएस) 12 के पैरा 14 में निर्दिष्ट किया गया है।

यह टिप्पणी कॉफी बोर्ड के वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के खातों के संबंध में भी उठाई गई थी। हालांकि, बोर्ड ने अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

6. तंबाकू बोर्ड, गुंटूर

आय और व्यय खाता

क. सेवाओं से आय (अनुसूची 12): ₹58.95 करोड़

क्रेताओं और उत्पादकों से प्राप्त होने वाले सेवा प्रभारों को उपचित आधार पर बहियों में लेखांकित नहीं किया गया था और वसूली की तिथि पर इन्हें बहियों में लेखाबद्ध किया गया था। यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 के लिए उपचित आधार पर ₹48.38 लाख[1] के सेवा शुल्क लेखा बहियों में लेखांकित नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप सेवा शुल्कों से प्राप्त आय को ₹48.38 लाख कम करके दिखाया गया है और चालू परिसंपत्तियों को भी ₹48.38 लाख कम बताया गया है।

इसी तरह, वर्ष 2018-19 के लिए ₹1.86 करोड़[2] का सेवा शुल्क वर्ष 2019-20 में वसूल किया गया था, लेकिन इसे चालू वर्ष की आय में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2019-20 के लिए सेवाओं से आय को ₹1.86 करोड़ अधिक बताया गया है।

ख अन्य आय (अनुसूची 18): ₹51.85 करोड़

उपरोक्त में वर्ष 2018 के लिए अधिक फसल के साथ-साथ तंबाकू की अनधिकृत खेती पर जुर्माने के रूप में प्राप्त ₹6.73 करोड़ शामिल हैं, जो कर्नाटक के उत्पादकों से वर्ष 2019-20 में प्राप्त हुए थे। तंबाकू बोर्ड ने वर्ष 2018 की नीलामी के दौरान ₹18.40 करोड़ का जुर्माना लगाया लेकिन वर्ष 2018-19 में ₹11.67 करोड़ की राशि का लेखाकरण रखा गया था और ₹6.73 करोड़ की शेष राशि का लेखाकरण वर्ष 2018-19 में नहीं किया गया।

---

[1] ***आंध्र प्रदेश में नीलामी 2 मार्च से 21 मार्च 2020 तक आयोजित की गई और 18 मार्च से 21 मार्च के दौरान उत्पादकों से लिये गये ₹16.85 लाख का उपचित सेवा शुल्क लेखांकित नहीं किया गया। कर्नाटक में 2 मार्च से 21 मार्च 2020 तक नीलामियों की गई और 18 से 21 मार्च के दौरान खरीदारों से लिया गया ₹31.53 लाख का उपचित सेवा शुल्क लेखांकित नहीं किया गया।***

[2] ***आंध्र प्रदेश में 22 मार्च 2019 से 30 मार्च 2019 तक आयोजित नीलामियों के दौरान ₹30.30 लाख (उत्पादकों से ₹15.23 लाख और खरीदारों से ₹15.07 लाख) उपचित सेवा शुल्क पर 2018-19 में विचार नहीं किया गया। कर्नाटक में नीलामी 1 मार्च से 28 मार्च 2019 तक आयोजित की गई थी, लेकिन ₹155.24 लाख 18 मार्च से 28 मार्च तक) (18 मार्च से 28 मार्च 2019 तक उत्पादकों से ₹108.88 लाख और 23 मार्च से 28 मार्च 2019 तक खरीदारों से ₹46.36 लाख) उपचित सेवा शुल्क 2018-19 में नहीं लिए गए।***

एक्रुअल आधार पर अन्य आय के गैर-लेखांकन के परिणामस्वरूप 'अन्य आय' को ₹6.73 करोड़ अधिक और 'पूर्व अवधि की आय' को ₹6.73 करोड़ कम बताया गया है।

7. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापत्तनम

तुलन-पत्र

वर्तमान देनदारियां

क. अन्य देनदारियां: ₹402.86 करोड़

उपरोक्त में ₹11.34 करोड़ शामिल नहीं है, जो कि रेटिंग एजेंसियों जैसे आईसीआरए, केयर और इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा डाउनग्रेड किए गए वीपीटी कर्मचारियों के जीपीएफ ट्रस्ट के निवेश से संबंधित राशि है। प्रमुख नियोक्ता होने के नाते, वीपीटी को जीपीएफ ट्रस्ट के नुकसान को अवशोषित करना होता है, जिसके लिए वर्ष के दौरान वीपीटी की बहियों में कोई देयता प्रदान नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप अन्य देनदारियों के साथ-साथ वित्त और विविध व्यय को ₹11.34 करोड़ कम और वर्ष के लिए लाभ में ₹11.34 करोड़ अधिक दर्शाया गया है।

निधियों का अनुप्रयोग

ख. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य: ₹175.94 करोड़

प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के तहत पूर्व तट रेलवे से आर एंड डी यार्ड के उत्तर में डेड एंड लाइनों को पूर्वी ग्रिड (तीसरी लाइन) से जोड़ने जैसे पूर्ण कार्य जारी रखने के कारण उपरोक्त को ₹15.96 करोड़ अधिक बताया गया था। इस प्रकार, उपरोक्त पूर्ण कार्य के गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप रेलवे और रोलिगं स्टॉक को ₹15.96 करोड़ कम करके दिखाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹0.26 करोड़ को मूल्यह्रास कम करके दिखाया गया है, साथ ही वर्ष के लिए लाभ भी इसी राशि के अनुपात में अधिक बताया गया है।

वर्तमान संपत्ति

ग. विविध देनदार: ₹367.18 करोड़

मार्च 2014 तक संदिग्ध ऋणों के लिए ₹7.31 करोड़ का प्रावधान किया गया था। बाद में, साल दर साल आश्वासन देने के बावजूद, वीपीटी ने संदिग्ध ऋणों के लिए और प्रावधान

नहीं किया। 31 मार्च 2020 तक ₹374.49 करोड़ के सकल विविध देनदारों में से,पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया राशि ₹132.36 करोड़ (35.34 प्रतिशत) थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आवश्यक कार्रवाई करने के वीपीटी द्वारा आश्वासन के मद्देनजर वर्ष 2018-19 की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इसी तरह की टिप्पणी शामिल की गई थी। लेकिन, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

8. सेंट्रल सिल्क बोर्ड, हैदराबाद

तुलन पत्र

कॉर्पस/पूंजीगत निधि (अनुसूची 1): ₹449.86 करोड़

31 मार्च 2019 तक कॉर्पस/पूंजीगत निधि की शेष राशि ₹442.64 करोड़ थी, लेकिन केंद्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) ने विभिन्न समायोजन किए हैं और 1 अप्रैल 2019 तक यह राशि ₹447.66 करोड़ आंकी गई। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के खातों के समान प्रारूप के अनुसार, "कॉर्पस/कैपिटल निधि कैपिटल, शेयर कैपिटल या ओनर्स निधि के समान है। इसमें आय और व्यय खाते में दिखाए गए शुद्ध परिचालन परिणामों में वृद्धि/कमी के रूप में विशेष रूप से कॉर्पस में योगदान के माध्यम से प्राप्त राशि शामिल है"।

चालू वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए समायोजन न तो संग्रह निधि में विशिष्ट योगदान करते हैं और न ही आय और व्यय खाते में दिखाए गए परिचालन परिणामों से उत्पन्न हुए हैं। इसके परिणामस्वरूप खातों के एकसमान प्रारूप का पालन नहीं किया गया। पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों में प्रमाणित शेष को चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों में आगे बढ़ाया जाना है। ऐसा नहीं करने से प्रस्तुत खातों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण पर असर पड़ेगा।

चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां (अनुसूची 11ख): ₹67.18 करोड़

उपरोक्त में मल्टी-एंड रीलिंग इकाइयों के कारण वसूली योग्य उपचित दंडात्मक ब्याज सहित ऋण राशि के लिए ₹6.44 करोड़ शामिल हैं। 20 साल से अधिक समय से राशि बकाया होने के बावजूद बोर्ड ने बकाया मूलधन और ब्याज राशि का प्रावधान नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा परिसंपत्तियों (ऋण) को अधिक बताया गया है और प्रावधान को ₹6.44 करोड़ कम बताया गया है।

इसके अलावा, सीएसबी ने "अन्य विविध जमा" के रूप में ब्याज सहित बकाया ऋण का भी लेखांकन किया है। लाभार्थियों को प्रदान किए गए ऋणों को जमा राशि के बजाय ऋण के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसमें सुधार की जरूरत है।

9. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई

बैलेंस शीट

अचल संपत्ति - अनुसूची 8 - ₹429.55 करोड़

भूमि: ₹49.96 करोड़

आईएमयू कैंपस, विशाखापत्तनम में खेल के मैदान (प्लेफील्ड) के निर्माण और विकास के लिए किए गए उपरोक्त मे व्यय के रूप में ₹1.53 करोड़ अधिक राशि बताई गई है। चूंकि खेल के मैदान का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया गया है, इसलिए खर्च की गई राशि को पूंजीगत कार्य-प्रगति के तहत दिखाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप भूमि का अधिक विवरण दिया गया है और पूंजीगत कार्य प्रगति कम दर्शाई गई।

10. चैन्नई पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई

क. विविध देनदार: ₹141.70 करोड़

उपरोक्त में कार्यालय भवन के आवंटन के लिए विभिन्न विभागों/संगठनों से लंबित ₹24.24 करोड़ (जीएसटी सहित) की संपत्ति किराया बकाया शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप विविध देनदारों और राजस्व आरक्षित निधि भंडार को ₹24.24 करोड़ कम बताया गया है।

ख. वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹1075.63 करोड़

ख.1 एलआईसी द्वारा 31 मार्च 2020 को पेंशन देयता के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ₹6,495.33 करोड़ की देयताएं थी। हालांकि, पेंशन फंड ट्रस्ट अकाउंट में उपलब्ध कॉर्पस 31 मार्च 2020 तक ₹3,451.62 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है और ₹3,043.71 करोड़ तक का लाभ अधिक बताया गया है।

ख.2 31 मार्च 2020 को लीव एनकैशमेंट लायबिलिटी के लिए एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, देनदारियाँ ₹163.44 करोड़ आँकी गई। हालांकि, 31 मार्च 2020 तक लीव एनकैशमेंट फंड अकाउंट में उपलब्ध कॉर्पस ₹77.58 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा देनदारियों और प्रावधानों को कम करके दिखाया गया है और ₹85.86 करोड़ तक लाभ अधिक बताया गया है।

पिछले वर्षों की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इन मुद्दों को पत्तन के ध्यान में लाया गया था, तथापि, पत्तन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

11. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन

क. वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹694.21 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पेंशन और ग्रेच्युटी योगदान की देनदारी 31 मार्च 2020 तक ₹3,193.34 करोड़ थी, जिसके प्रति पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में निवेश ₹335.86 करोड़ था, जिससे ₹2,857.48 करोड़ की राशि कम रह गई। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं और प्रावधानों को ₹2,857.48 करोड़ कम बताया गया है और साथ ही उसी राशि का लाभ अधिक बताया गया है।

टिप्पणी को वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी शामिल किया गया था। तथापि, पत्तन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. वित्त और विविध आय (एससीएच एन) - ₹43.20 करोड़

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने 19 मार्च 2020 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ₹7.98 करोड़ मूल्य के सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम स्क्रिप के लिए आवेदन किया और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उसी के 98.78 *प्रतिशत* को आय के रूप में मान्यता दी। चूंकि स्क्रिप की वसूली खुले बाजार में उस की सफल नीलामी पर निर्भर थी, 31 मार्च 2020 तक आय की मान्यता के परिणामस्वरूप अत्यधिक लाभ सहित आय ₹7.88 करोड़ अधिक दर्शाई गई।

12. न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट, मैंगलोर

तुलन पत्र

क. आस्थगित कर देयता ₹154.95 करोड़

मार्च 2020 में कराधान के प्रावधान को डेबिट करके पारित एक अनंतिम प्रविष्टि के कारण ₹1.02 करोड़ की राशि अधिक बताई गई है। इसके परिणामस्वरूप कराधान के प्रावधान (वर्तमान देयताएं और प्रावधानों) को उसी सीमा तक कम बताया गया है।

ख. अवकाश नकदीकरण कोष ₹21.89 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक अवकाश नकदीकरण निधि के प्रति देयता ₹23.14 करोड़ थी। हालाँकि, 31 मार्च 2020 तक अवकाश नकदीकरण कोष में शेष राशि ₹21.89 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताएं और प्रावधानों को कम बताया गया है और ₹1.25 करोड़ तक लाभ को अधिक बताया गया है।

ग. शुद्ध विविध देनदार ₹26.75 करोड़

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक ग्रेच्युटी फंड की देनदारी ₹74.02 करोड़ थी। हालांकि, 31 मार्च 2020 को ग्रेच्युटी फंड में शेष राशि ₹84.28 करोड़ थी। पत्तन की आय के रूप में अंतर राशि की पहचान न करने के परिणामस्वरूप चालू संपत्ति (ग्रेच्युटी फंड ट्रस्ट से प्राप्य) ₹10.26 करोड़, चालू वर्ष की आय ₹3.21 करोड़ और पूर्व अवधि की आय ₹7.05 करोड़ कम बताई गई।

13. वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन

तुलन पत्र

क. इक्विटी योगदान - ₹90.71 करोड़

सेतु समुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड - ₹50 करोड़

पोर्ट ने सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में ₹50 करोड़ का निवेश किया है जो समापन की प्रक्रिया में है। लेखांकन मानक-13 के प्रावधानों के अनुसार, निवेश के मूल्य में कमी/गिरावट के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप निवेशों को अधिक बताया गया और प्रावधानों को ₹50 करोड़ कम बताया गया।

ख. निधियों का अनुप्रयोग - वर्तमान देयताएं और प्रावधान - ₹591.40 करोड़

पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में किए गए योगदान में कमी के कारण उपरोक्त को एलआईसी द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, ₹289.06 करोड़ कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप भी उसी हद तक लाभ को अधिक बताया गया है।

14. रबड़ बोर्ड, कोट्टायम

क. निवेश-अन्य: ₹18.92 करोड़

पांच संयुक्त उद्यम कंपनियों में किए गए निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान न होने के कारण यह ₹6.19 करोड़ कम है, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। चूंकि निवेश की वसूली संदिग्ध है, इसलिए संपत्ति के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। निष्क्रियता हानि का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप आय से अधिक व्यय को भी कम बताया गया है।

ख. वृक्षारोपण: ₹5.76 करोड़

पिछले संबंधित वर्षों में व्यय के रूप में आय और व्यय खाते में चार्ज करने के बजाय अनुसंधान उद्देश्य से किए गए वृक्षारोपण के पूंजीकरण के कारण ₹3.92 करोड़ अधिक बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप पूर्व अवधि व्यय के माध्यम से आय से अधिक व्यय को कम बताया गया है।

ग. चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम: ₹59.73 करोड़

उन कंपनियों से, जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, संदिग्ध कार्यशील पूंजी ऋण, उस पर ब्याज, लीज रेंट प्राप्य और अन्य प्राप्तियों के लिए प्रावधान न करने के कारण यह ₹28.57 करोड़ अधिक है। चूंकि कंपनियों को संचित घाटा हो रहा है जो उनके निवल मूल्य से अधिक है, इन प्राप्तियों की वसूली संदिग्ध है। इसके परिणामस्वरूप आय से अधिक व्यय को समान राशि से कम करके दिखाया गया है।

घ. बिक्री और सेवाओं से आय: ₹7.70 करोड़

उर्पयुक्त को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (₹ 2.95 करोड़) और अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम (₹0.01 करोड़) के तहत, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आयोजित

प्रशिक्षण के लिए प्राप्य राशि ₹2.96 करोड़ कम करके आंकी गई है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों को भी उसी सीमा तक कम करके दिखाया गया है।

15. मसाला बोर्ड, कोच्चि

क. निर्धारित/बंदोबस्ती निधि: ₹240.46 करोड़

क) इसे 'निधि पर में किए गए निवेशों से आय' शीर्ष के तहत निर्धारित निधियों (पेंशन देनदारियों) में लेखांकन करने के बजाय आय और व्यय खाते में वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के आय के रूप में लेखांकन के कारण ₹3.52 करोड़ कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित/ बंदोबस्ती निधियों और आय से अधिक व्यय को ₹3.52 करोड़ कम बताया गया है।

ख) उर्पयुक्त को निर्धारित पेंशन निधि पर वर्ष 2019-20 के दौरान उपचित ब्याज को गैर-लेखांकन के कारण ₹ 2.12 करोड़ कम करके बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित/बंदोबस्ती निधि और वर्तमान संपत्ति (उपचित ब्याज) को ₹2.12 करोड़ कम बताया गया है।

16. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, चेन्नई

क. वर्तमान देयताएं और प्रावधान: ₹237.02 करोड़

उपर्युक्त को सातवें वेतन आयोग के लागू होने के परिणामस्वरूप देय राशि में वृद्धि के कारण कर्मचारियों को देय सांविधिक देय राशि (ग्रेच्युटी- ₹1.81 करोड़, छुट्टी नकदीकरण- ₹0.37 करोड़ और कम्यूटेड पेंशन-₹3.16 करोड़) की बकाया राशि के लिए प्रावधान न करने के कारण ₹ 5.34 करोड़ कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹5.34 करोड़ की सीमा तक प्रावधानों और व्यय को कम बताया गया है।

ख. स्थापना व्यय: ₹48.28 करोड़

यह बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता होने के नाते ₹199.57 करोड़ कम है। प्राधिकरण ने इस दायित्व को आय और व्यय खाते के माध्यम से रूट करने के बजाय बैलेंस शीट में 'विविध व्यय' में डेबिट के साथ 'वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों' के तहत दर्शाया है। इसके परिणामस्वरूप स्थापना व्यय को

₹199.57 करोड़ कम बताया गया और उस सीमा तक विविध व्यय को अधिक बताया गया।

17. कॉयर बोर्ड, कोच्चि

समेकित तुलन पत्र

ए. कॉर्पस/पूंजीगत निधि और देयताएं

निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची - 3) - ₹55.25 करोड़

उपर्युक्त को विभिन्न निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों के बैंक खातों में पड़े अप्रयुक्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹315.57 लाख राशि तक अधिक बताया गया है। इसे जीएफआर, 2017 के नियम 230(8) के अनुपालन में भारत की संचित निधि में विप्रेषित किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित/बंदोबस्ती निधियों को अधिक बताया गया है और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम बताया गया है।

समेकित आय और व्यय

ख. आय

अर्जित ब्याज (अनुसूची - 17) - ₹1.86 करोड़

उपर्युक्त को 'प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता' और 'कॉयर विकास योजना' के संबंध में बैंकों में जमा सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज के रूप में ₹164.38 लाख अधिक बताया गया है। अर्जित ब्याज को भारत की संचित निधि में जमा करने के बजाय बोर्ड की आय के रूप में मान्यता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप व्यय से अधिक आय को अधिक बताया गया है और वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को कम बताया गया है।

18. भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता

तुलन पत्र- वर्तमान देयताएं और प्रावधान ₹51,910.19 लाख

ऋण- टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ब्याज मुक्त ऋण ₹354.46 लाख

1993 से 1995 की अवधि के दौरान चाय बोर्ड ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के स्वीकृति पत्र संख्या 48021/2/93-प्लांट ए दिनांक 16 अगस्त 1993, टी-39012/93 प्लांट ए दिनांक 26 अप्रैल 1994, टी-39012/1/93- प्लांट ए दिनांक 4 जुलाई 1994, टी-

39012/1/93 प्लांट ए दिनांक 30 मार्च 1995 और फैक्स दिनांक 28 अप्रैल 1995 और 25 अक्टूबर 1995 के तहत टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (निगम) को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में ₹599 लाख का भुगतान किया। इस ब्याज मुक्त ऋण के प्रति, निगम ने 2 जून 1994 को चाय बोर्ड को ₹25 लाख की राशि वापस कर दी। ऋण के भुगतान और उसके रिफंड का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

दिनांक	चेक संख्या	पर आहरित	धन राशि (लाख में)
01.09.1993	262896	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	350
12.05.1994	262930 से 262933	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	44
01.06.1994	262934 से 262937	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	12
28.07.1994	262942	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	109
31.03.1995	262992	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	55
05.05.1995	262999	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	14
08.11.1995	452786	भारतीय स्टेट बैंक	6
07.12.1995	084410	बैंक ऑफ बड़ौदा	9
		कुल	**599**
न्यून :निगम द्वारा 2 जून 1994 को बैंक हस्तांतरण द्वारा धनवापसी			**25**
		शेष	**574**

निगम को दिए गए उपरोक्त ब्याज मुक्त ऋणों में से, निगम को भुगतान के लिए टी बोर्ड को भारत सरकार से ₹354 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। इसके बाद, निगम समापन आदेश दिनांक 24 जून 2002 के अनुसार परिसमापन में चला गया और चाय बोर्ड ₹574 लाख के उक्त ऋण की वसूली नहीं कर सका। 2012-13 के दौरान, चाय बोर्ड ने सरकार को देय ऋण से निगम को भुगतान किए गए ₹220 लाख (₹574 लाख - ₹354 लाख) के ब्याज मुक्त ऋण की शेष राशि को समायोजित किया। अत: चाय बोर्ड ने निगम को किए गए ब्याज मुक्त भगतान की ₹574 लाख कुल राशि सरकार से प्राप्त/समायोजित की। हालांकि, तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में ₹354 लाख का खुलासा "निगम को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में किया गया था। इसी तरह, निगम के खाते में सरकार को देय राशि" की अन्य देनदारियों में ₹354 लाख की राशि भी शामिल है।

चूंकि निगम अब अस्तित्व में नहीं है और चाय बोर्ड ने सरकार से निगम को भुगतान की गई कुल ऋण राशि को प्राप्त/समायोजित कर दिया है, "निगम को ब्याज मुक्त ऋण" के रूप में तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष में ₹354 लाख का प्रकटीकरण गलत है और ‘‘निगम के खाते में सरकार को देय राशि" के प्रति ₹354 लाख की देनदारी राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त के गैर-समायोजन के परिणामस्वरूप "निगम को ब्याज मुक्त ऋण" के लिए परिसंपत्तियों को ₹354 लाख अधिक और "अन्य देयताओं" को उसी राशि तक अधिक बताया गया है।

वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणी को सम्मिलित किया गया था परन्तु प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

19. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता

क. कैपिटल रिजर्व में, किराए की अनुसूची के अनुसार अनधिकृत कब्जे के लिए किरायेदारों से शुल्क के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता द्वारा वसूल किए गए वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20) से संबंधित ₹386.88 करोड़ (क्रमशः ₹53.43 करोड़, ₹68.75 करोड़, ₹68.62 करोड़, ₹54.97 करोड़, ₹77.57 करोड़ और ₹63.54 करोड़) शामिल हैं। राशि को एस.बी. बिलिमोरिया एंड कंपनी द्वारा तैयार किए गए और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के लिए लागू, वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सामान्य ढांचे के पैरा 2ए के उल्लंघन में मेस्ने लाभ (पूंजीगत प्रति) के रूप में मानते हुए सीधे ही कैपिटल रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया था। तथापि, प्रमुख बंदरगाहों के लिए टैरिफ प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किराए की अनुसूची के अनुसार मुआवजा शुल्क वसूल किए जाते हैं और इसलिए, इसे पूंजी प्राप्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

इस प्रकार, पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में क्षतिपूर्ति प्रभारों के लेखांकन के परिणामस्वरूप पूंजीगत आरक्षित निधि को ₹386.88 करोड़ अधिक बताया गया है और वर्ष के लिए अधिशेष को ₹63.54 करोड़ और पूर्व अवधि के लिए ₹323.34 करोड़ कम बताया गया है।

ख. लेखांकन नियमावली के अनुसार, किसी आरक्षित निधि के संबंध में 'निधि' शब्द का प्रयोग तभी किया जाना था जब ऐसी आरक्षित निधि का प्रतिनिधित्व किसी विनिर्दिष्ट

निवेश द्वारा किया गया हो। तथापि, 31 मार्च, 2020 तक पूंजीगत परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन, पुनर्वास और आधुनिकीकरण और विकास, ऋणों की चुकौती और आकस्मिकता निधियों की बकाया राशि की तुलना में, वहां किए गए निर्दिष्ट निवेशों की राशि में कुल ₹8.64 करोड़ की कमी दिखाई गई। इस प्रकार, निधियों के संबंध में निवेश मिलान की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

ग. लेखांकन नियमावली के अनुसार, किसी भी आरक्षित के संबंध में 'निधि' शब्द का उपयोग केवल तभी किया जाना था जब ऐसे रिजर्व को एक निर्दिष्ट निवेश द्वारा दर्शाया गया हो। हालांकि, 31 मार्च 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी सेवानिवृत्ति निधि और सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ निधियों की शेष राशि की तुलना में निर्दिष्ट निवेश की राशि और उसके प्रति बैंक शेष राशि में कुल ₹42.38 करोड़ की कमी दिखाई गई। इस प्रकार, निधियों के संबंध में निवेश मिलान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था।

घ. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) में 13 गैर-योजना वाले प्रगतिशील पूंजीगत कार्य शामिल थे, जिनके लिए कुल ₹7.83 करोड़ का भुगतान किया गया था और पिछले वर्ष ₹3.53 करोड़ के व्यय का पूंजीकरण किया गया था। पूर्णता प्रमाण पत्र के अभाव में ₹4.30 करोड़ की शेष राशि पूंजीकृत नहीं की गई। संबंधित डिवीजनों के द्वारा पूर्णता प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण चालू वर्ष में ₹4.30 करोड़ की उपरोक्त राशि अभी भी सीडब्ल्यूआईपी के रूप में दर्शायी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को कम बताया गया है और प्रगतिशील पूंजीगत कार्य को ₹4.30 करोड़ अधिक बताया गया है। चूंकि उपरोक्त कार्यों के पूरा होने की तिथि का अभी पता नहीं चल पाया है, इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा मूल्यह्रास के कम बताए जाने का पता नहीं लगाया जा सका है।

ङ. प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में लंबे समय से जिगरखली फ्लैट पर पूंजी ड्रेजिंग के लिए ₹17.32 करोड़ शामिल थे। उक्त प्रगतिशील कार्य को वर्ष 2001-02 के दौरान कोलकाता डॉक सिस्टम द्वारा हस्तांतरित किया गया था लेकिन इसे 'पूर्णता प्रमाण पत्र', 'अंतिम बिल की प्रति' आदि जैसे दस्तावेजों की कमी के कारण पूंजीकृत नहीं किया गया था। चूंकि व्यय की प्रकृति के संबंध में कोई अभिलेख/दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, इसलिए लाभ और हानि खाते के लिए राशि को प्रभारित किया जाना चाहिए था।

इस राशि को प्रभारित न करने से सीडब्ल्यूआईपी को ₹17.32 करोड़ तक अधिक बताया गया है और इसी राशि से अधिशेष को अधिक बताया गया है।

च. 14 जून 2013 को पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, संगठन द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर और उनकी वार्षिक रिपोर्ट में किए गए सभी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों का प्रकटीकरण अनिवार्य था। हालांकि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने 2019-20 के लिए ₹1.66 करोड़ का सीएसआर व्यय किया, लेकिन लेखाओं के नोट में इसका प्रकटीकरण नहीं किया गया।

छ. विविध ऋणी में 1999-2000 से 2011-12 तक ड्रेजिंग और नदी रखरखाव के लिए दावे के कारण ₹553.49 करोड़ शामिल किए थे,जिसे सरकारी लेखापरीक्षा द्वारा अनुमति नहीं दी गयी, जिनके प्रति श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कोलकाता ने मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963 (नोट संख्या 18 के संदर्भ में) की धारा 105 के तहत केंद्र सरकार से संपर्क किया था। यह दावा बहुत पुराना हो गया है जिस कारण वसूली होने की संभावना बहुत कम है।

पुराने बकाया देय के प्रति इस तरह प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप विविध ऋणी को अधिक बताने के साथ-साथ अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के प्रावधान को ₹553.49 करोड़ तक कम बताया गया गया है।

20. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप

क. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पोर्ट) को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर (बीओटी) आधार पर मेसर्स जेएसडब्ल्यू पारादीप टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (जेएसडब्ल्यूपीटीपीएल) को पारादीप में लौह अयस्क बर्थ के विकास और मेसर्स कलिंग इंटरनेशनल कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड को पारादीप में कोल बर्थ के विकास के लिए कार्यों को प्रदान किया गया ।दोनों बर्थ के लिए कैपिटल ड्रेजिंग का काम मेसर्स ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) को सौंपा गया। बीओटी लौह अयस्क बर्थ के कारण पूंजी ड्रेजिंग का कार्य 31 मार्च, 2020 को पूरा किया गया था। लौह अयस्क बर्थ से जुड़े पूंजी ड्रेजिंग कार्य हालांकि, लौह अयस्क और कोयला बर्थ के लिए मेसर्स डीसीआईएल द्वारा समग्र रूप से निष्पादित किए जा रहे कुल कार्यों का 50 *प्रतिशत* है। चूंकि बीओटी लौह अयस्क बर्थ 1 अक्टूबर 2019 से जेएसडब्ल्यूपीटीपीएल द्वारा संचालित हो रही थी, इसलिए बीओटी लौह अयस्क बर्थ संबंधी कैपिटल ड्रेजिंग कार्यों को भी पूर्ण प्रमाणित किया गया है, इसलिए आनुपातिक पूंजीकृत

ड्रेजिंग कार्यों को वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'पूंजीगत कार्य प्रगति में' का अधिक और अचल परिसंपति (नेट ब्लॉक) को ₹51.33 करोड़ तक कम बताया गया है, जिसमें आयकर से पहले निवल अधिशेष को ₹0.51 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

ख. पत्तन पर पारादीप पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (पीपीआरसीएल), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन में इक्विटी शेयरों के लिए ₹40 करोड़ का निवेश किया गया है। पीपीआरसीएल का निवल मूल्य पूरी तरह से क्षीण हो चुका है और 31 मार्च 2016 तक (-) ₹495.52 करोड़ थी। इस बीच 26 अक्टूबर 2018 को हुई बैठक में पत्तन के न्यासी बोर्ड को सूचित किया गया था कि एनएचएआई ने एसपीवी के समापन के लिए प्रस्ताव दिया था। इसलिए एएस-13 के तहत जरूरी लंबी अवधि के निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। इस प्रकार**,** इसका प्रावधान न करने से निवेश को अधिक बताया गया है और कर से पहले निवल अधिशेष को ₹40 करोड़ अधिक बताया गया है।

ग. पत्तन ने कर्मचारियों और पेंशनभोगी के पेंशन और ग्रेच्युटी फंड के प्रबंधन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक परिभाषित लाभ योजना खरीदी। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट फंड में वार्षिक योगदान देता है जिसे लेखा बही में व्यय माना जाता है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹361.15 करोड़ प्रदान किए। अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट में एलआईसी ने पेंशन और ग्रेच्युटी फंड में गैप फंडिंग के लिए अतिरिक्त ₹402.44 करोड़ की मांग की है। एएस-15 के अनुसार, ₹402.44 करोड़ के गैप फंडिंग के लिए लेखों में उचित प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप कर से पहले निवल अधिशेष को अधिक बताया गया है, जिसमें 'चालू देयताएँ और प्रावधान' को ₹402.44 करोड़ तक कम बताया गया है।

घ. "मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कॉमन फ्रेमवर्क" (नवंबर 2002) को सीएजी द्वारा अनुमोदित किया गया था और उस ढांचे में भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। पत्तन ने छह महीने से अधिक पुराने ऋणों के प्रति वर्ष 2019-20 के लिए संदिग्ध ऋण के रूप में ₹52.68 करोड़ प्रदान नहीं किए हैं। इसके परिणामस्वरूप विविध ऋणियों के साथ-साथ निवल अधिशेष को ₹52.68 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

21. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट, मुंबई

तुलन पत्र

कॉर्पस/कैपिटल फंड एंड लायबिलिटीज - ₹8647.25 करोड़ (अनुसूची I)

लेखों पर नोट्स - मद III-ख

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट पेंशन फंड ट्रस्ट का गठन कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की पेंशन देयता को पूरा करने के लिए ट्रस्ट विलेख (14 जनवरी 2004) के तहत किया गया था। पेंशन निधि के प्रबंधन के लिए एलआईसी को निधि प्रबंधक नियुक्त किया गया है। एलआईसी हर वर्ष बीमांकिक मूल्यांकन करता है जिसके आधार पर मुंबई पत्तन ट्रस्ट द्वारा एलआईसी के साथ पैसा निवेश किया जाता है।

एलआईसी द्वारा सूचित 31 मार्च 2020 तक बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार कुल पेंशन देयता ₹12,777.23 करोड़ (मौजूदा पेंशनभोगियों के लिए ₹7,707.05 करोड़ और भावी पेंशनभोगियों के लिए ₹5,070.18 करोड़) थी। 31 मार्च 2020 तक पेंशन निधि शेष ₹8,647.25 करोड़ था (नोट संख्या III-ख में ₹8,709.14 करोड़ के रूप में वर्णित) है। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए निधि शेष में ₹4,129.98 करोड़ की कमी है।

पेंशन देयता के कम प्रावधान के परिणामस्वरूप देयता (पेंशन फंड खाता) और परिसंपत्तियों (चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिमों-"मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्य") को ₹4,129.98 करोड़ तक कम बताया गया है। लेखापरीक्षा ने 2012-2013 से प्रोविजनिंग में कमी की ओर इशारा किया है।

22. मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट, गोवा

चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम- ₹308.30 करोड़ (अनुसूची 4)

विविध ऋणी - ₹72.99 करोड़

इसमें पट्टा किराया के लिए प्राप्य ₹7.26 करोड़ की राशि, विलंबित भुगतान पर ब्याज, वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए मेसर्स वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड से अतिक्रमण शुल्क शामिल है। माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दिवालिया और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 14 के तहत एमपीटी को किसी भी वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड परिसंपत्तियों के हस्तांतरण, भारग्रहण, विमुखन या निपटान से

प्रतिबंधित करने की घोषणा की (12 दिसम्बर 2017) इसलिए, मेसर्स वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लिमिटेड से ₹7.26 करोड़ की वसूली संदिग्ध है और इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप देनदारों को ₹7.26 करोड़ का अतिकथन किया गया है, जिसमें संदिग्ध ऋणों तथा हानि के लिए प्रावधानों को कम दर्शाया गया है। यद्यपि 2017-18 से लेखापरीक्षा द्वारा इसका उल्लेख किया जा रहा है, फिर भी प्रबंधन द्वारा इसे सुधारा जाना बाकी है।

23. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई

तुलन पत्र वर्तमान संपत्ति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-6)

निवेश पर ब्याज - ₹227.15 करोड़

क. नकद और बैंक शेष (बैंकों के साथ टीडीआर सहित) - ₹3,349.93 करोड़

उपर्युक्त में ₹67.59 करोड़ की राशि शामिल है जो फरवरी 2014 में जमा की गई सावधि जमा की शेष राशि है और उस पर 31 मार्च 2020 तक ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से अर्जित ब्याज ₹61.62 करोड़ लंबित प्राप्ति है।

चूंकि जेएनपीटी के पास ₹67.59 करोड़ की सावधि जमा रसीद नहीं है और मामले की जांच सीबीआई न्यायालय द्वारा की जा रही है और एक अन्य मामला राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास भी लंबित है और सुनवाई की अगली तारीख जनवरी 2021 में निर्धारित है, इसलिए संदिग्ध निवेश और उस पर उपचित ब्याज के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। संदिग्ध निवेश के लिए प्रावधान न करने से लाभ में ₹129.21 करोड़, नकद और बैंक बैलेंस में ₹67.59 करोड़ का और निवेश पर उपचित ब्याज में ₹61.62 करोड़ ओवरस्टेटमेंट अर्जित हुई है।

यह मुद्दा लेखापरीक्षा द्वारा 2013-14 से उठाया जा रहा है।

ख. प्रगति में पूंजीगत कार्य ₹3,446.73 करोड़ (अनुसूची 3)

i) उपर्युक्त में पूंजी ड्रेजिंग कार्य के लिए किए गए खर्च के ₹1,704.18 करोड़ की राशि शामिल है, जिसे सलाहकार द्वारा 18 फरवरी 2019 को प्रमाणित पूर्णता प्राप्त किया गया था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए ₹17.04 करोड़, पूर्व अवधि व्यय (मूल्यह्रास) में ₹8.52 करोड़, सकल अचल संपत्ति में ₹1704.18 करोड़ कम दर्शाना और लाभ का ओवरस्टेटमेंट ₹25.56 करोड़ का हुआ है।

ii) उपर्युक्त में केंद्रीकृत पार्किंग जोन के विकास के लिए किए गए खर्च के लिए ₹183.74 करोड की राशि शामिल है, जो 5 दिसंबर 2019 को पूरी हुई थी। इसके गैर-पूंजीकरण के परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) में ₹183.74 करोड़ अधिक और सकल अचल परिसंपत्तियों को इसी राशि से कम दिखाया गया है। इससे मूल्यह्रास में ₹2.3 करोड़ की कमी हुई है और इसी राशि से लाभ अधिक अनुमानित है।

iii) उपर्युक्त में 24 दिसंबर 2019 को मेसर्स एचओसीएल से ली गई परिसंपत्तियों (टैंक फार्म) की लागत ₹32.77 करोड़ शामिल है। ₹16.38 करोड़ की संपत्ति के वास्तविक मूल्य के प्रति, बुक की गई राशि दोगुनी थी। इसके परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी को ₹16.38 करोड़ का ओवरस्टेटमेंट हुआ और पूंजीगत कार्यों के लिए लेनदारों को ₹16.38 करोड़ तक अधिक बताया गया।

ग. ऋण और अग्रिम

संविदाकारों को अग्रिम - ₹313.84 करोड़ (अनुसूची 6)

इसमें विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के लिए इंडियन पोर्ट रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल) को दिए गए अग्रिम ₹280.89 करोड़ शामिल हैं। आईपीआरसीएल द्वारा इन परियोजनाओं के निर्माण का कार्य प्रगति पर है और ₹207.81 करोड़ की राशि का दावा आईपीआरसीएल द्वारा रनिंग अकाउंट बिलों के माध्यम से पूर्ण कार्यों में किया गया है।

पूंजीगत कार्य पर किए गए व्यय को सीडब्ल्यूआईपी में न स्थानांतरित करने से सीडब्ल्यूआईपी को **₹**207.81 करोड़ कम और वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों कों **₹**207.81 करोड़ अधिक बताया गया है। समान बिन्दु 2018-19 के लिए भी एसएआर में शामिल की गई थी।

घ. संपदा किराया - ₹129.18 करोड़ (अनुसूची-11)

एसईज़ेड आय - ₹9.91 करोड़

इसके बाद 2019-2020 के दौरान पत्तन द्वारा मान्यता प्राप्त ₹9.44 करोड़ की एसईजेड आय शामिल है। जेएनपीटी को जेएन पोर्ट पर लगभग 277.38 हेक्टेयर क्षेत्र पर विकसित किए जाने वाले पत्तन आधारित बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिए डेवलपर के रूप में नियुक्त किया गया है।

जेएनपीटी ने 29 जुलाई 2020 को एनएचएवा शिवा बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के साथ पट्टा विलेख निष्पादित किया था जिसमें पोर्ट ने ₹566.30 करोड़ की राशि के अग्रिम पट्टा प्रीमियम के प्रति 17.97 हेक्टेयर भूमि दी थी। पट्टा विलेख के अनुसार, पट्टा की अवधि 60 वर्ष की होगी जो विलेख की तारीख (जुलाई 2020) से शुरू होगी। एनएचवा शिवा बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड ने जुलाई 2019 से जुलाई 2020 के दौरान पत्तन को ₹566.30 करोड़ का पट्टा प्रीमियम प्रेषित किया।

चूंकि पट्टा विलेख जुलाई 2020 से ही प्रभावी थी, इसलिए 2019-20 के दौरान एसईजेड आय की मान्यता के परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों को कम दिखाया गया है और लाभ का ओवरस्टेटमेंट ₹9.44 करोड़ (₹566.30 करोड़/60 वर्ष) तक है।

24. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई

तुलन पत्र

क. सामान्य आरक्षित निधि - ₹41.49 करोड़

मुख्य पत्तनों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए समान फ्रेमवर्क (सीएफएफआर) के अनुसार, लाभ और हानि लेखा के डेबिट शेष को अनिर्दिष्ट आरक्षित निधि ('सामान्य आरक्षित निधि' के रूप में भी संदर्भित) से कटौती की जानी चाहिए।

पोर्ट ने तुलन पत्र के परिसंपत्ति पक्ष पर ₹417.27 करोड़ को लाभ और हानि लेखा के तहत डेबिट शेष दर्शाया है और तुलन पत्र के देयता पक्ष पर ₹41.49 करोड़ की सामान्य आरक्षित निधि को दर्शाया है। पोर्ट को जनरल रिजर्व में उपलब्ध राशि के साथ लाभ और हानि लेखा के डेबिट शेष को समायोजित करना चाहिए था और परिसंपत्ति पक्ष पर केवल शेष राशि यानी ₹370.78 करोड़ (₹417.27 करोड़ घटा ₹41.49 करोड़) दर्शाया जाना चाहिए था।

दोनों आंकड़ों का समायोजन न करने से लाभ और हानि लेखा के डेबिट शेष और जनरल रिजर्व में ₹41.49 करोड़ अधिक बताए गए है।

ख. चालू परिसंपति, ऋण और अग्रिम राशि

विविध ऋणी - ₹3,203.79 करोड़

पत्तन ने 1 मार्च 1972 से 28 फरवरी 2002 की अवधि के लिए राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लिमिटेड (आरसीएफ) को ₹7150.23 वर्ग मीटर की भूमि पट्टे पर दी थी। न्यासी बोर्ड ने ₹2.87 करोड़ की राशि के मूल्यांकित स्क्रैप मूल्य पर भूमिसंपत्ति (टैंक फार्म) लेने और आरसीएफ से ₹6.69 करोड़ की वसूली योग्य राशि के प्रति राशि समायोजित करने का निर्णय किया (9 जनवरी 2018)। हालांकि आरसीएफ ने परिसंपत्तियों को वापिस कर दिया है, लेकिन पत्तन ने इस राशि को आरसीएफ से प्राप्य देय राशि के साथ समायोजन नहीं किया। इसलिए, ₹2.87 करोड़ के विविध ऋणी अधिक बताए गए है।

इसके अलावा, पत्तन ने आरसीएफ से पट्टे पर ली गई भूमि के मामले को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया है, जो सही नहीं है, क्योंकि इस संबंध में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

25. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, मुंबई

तुलन पत्र

क. अनुसूची 9 - चालू परिसंपत्ति, ऋण और अग्रिम राशि आदि।

चालू परिसंपत्ति - विविध देनदार (अन्य) - ₹121.82 करोड़

उपर्युक्त में प्रतिनियुक्ति पर सेबी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के कारण किसी बाहरी संगठन से प्राप्य ₹1.59 करोड़ की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप विविध ऋणी (अन्य)को कम बताया गया है और स्थापना व्यय को उसी हद तक अधिक बताया गया है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2020) कि कोविड-19 लॉक डाउन के कारण वार्षिक लेखा विवरण को अंतिम रूप देने तक राशि प्राप्त नहीं हुई थी और वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवश्यक सुधार प्रविष्टि की गई है।

आय और व्यय लेखा

ख. अनुसूची 15 - अन्य प्रशासनिक व्यय आदि।

मरम्मत और रखरखाव - भवन और परिसर - ₹ 31.90 करोड़

उपरोक्त में ₹44,99,837 की राशि के अग्नि दमन प्रणाली, एसपिरेसन स्मोक डिटेक्शन सिस्टम और रोडेन्ट रेपिलेंट सिस्टम शामिल है जिसे 19 मार्च 2020 को पूंजीकृत किया जाना था। अचल परिसंपति के तहत इसे पूंजीकृत करने के बजाय व्यय के रूप में राशि की बुकिंग के परिणामस्वरूप अचल परिसंपति को कम और मरम्मत और रखरखाव को अधिक और व्यय की तुलना में अधिक आय को उस हद तक कम बताया गया है।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2020 और दिसंबर 2020) कि यह भूलवश में व्यय शीर्ष 'मरम्मत और रखरखाव' के तहत लेखांकित था।

26. पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

तुलन पत्र

निर्धारित/विन्यास निधि- (अनुसूची-3): ₹2.20 करोड़

उपर्युक्त में स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना में सरकार से प्राप्त ₹152.40 करोड़ के उपयुक्त अनुदान शामिल नहीं हैं। पीएफआरडीए (लेखा एवं अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र) नियमावली, 2015 के अनुसार निर्धारित प्रयोजनों के लिए अनुदान के रूप में प्राप्य राशि को अनुसूची 3 "निर्धारित/विन्यास निधि" के तहत उजागर किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार, सरकार से प्राप्त योजना निधियों को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाना चाहिए और किसी अन्य निधि के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। चूंकि स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना के लिए प्राप्त अनुदान का उपयोग विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाना था, इसलिए उन्हें निर्धारित निधियों के तहत अलग से दर्शाया जाना चाहिए था। वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों, उसमें किए गए भुगतान, वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष को संबंधित निधियों के अंतर्गत ही दर्शाया जाना चाहिए।

लेखा पुस्तकों में आय के रूप में इन अनुदानों को लेने के परिणामस्वरूप विभिन्न लेखा शीर्षों अर्थात् कॉर्पस/पूंजी निधि, आय और व्यय का गलत चित्रण हुआ है। इस तरह के वर्गीकरण के कारण खातों के इन शीर्षों पर सटीक प्रभाव की गणना लेखापरीक्षा में नहीं

की जा सकी। हालांकि, इसके परिणामस्वरूप निर्धारित निधियों को कम बताया गया है और चालू देयताओं को ₹152.40 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

31 मार्च 2017, 2018 और 2019 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए एसएआरज़ में बार-बार इंगित किए जाने के बावजूद, पीएफआरडीए ने उपर्युक्त अनुदान को 'निर्धारित/विन्यास निधि' के तहत एक अलग निधि के रूप में चित्रित नहीं किया है।

आय और व्यय लेखा

अर्जित ब्याज (अनुसूची 17): ₹6.23 करोड़

अन्य प्रशासन व्यय (अनुसूची 21): ₹234.83 करोड़

इसमें सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज ₹1.77 करोड़ (अटल पेंशन योजना ₹1.47 करोड़ और स्वावलंबन योजना ₹0.3 करोड़) शामिल हैं। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज को आय के रूप में मानने के बजाय 'निर्धारित/विन्यास निधि' (अनुसूची 3) के तहत अनुदानों में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, अटल पेंशन योजना से संबंधित ₹209.61 करोड़[3] का खर्च अनुदान के माध्यम से कटौती करने के बजाय प्रशासन के अन्य खर्चों में लिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप ₹1.77 करोड़ तक आय, ₹209.61 करोड़ तक व्यय और निर्धारित निधि को ₹207.84 करोड़ तक अधिक बताया गया है।

27. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली

तुलन पत्र

क. चालू देयता और प्रावधान (अनुसूची 7): ₹268.35 करोड़

उपर्युक्त में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रायबरेली कैंपस द्वारा आईटीआई लिमिटेड (आईटीआई) को देय ₹2.53 करोड़ का पट्टा किराया शामिल नहीं है। आईटीआई के साथ किए गए पट्टे समझौते की अवधि 14 नवंबर 2018 को समाप्त हो गई थी और आईटीआई से जमीन हस्तांतरित कराने के निफ्ट के प्रयास अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सके हैं। इस दौरान आईटीआई ने पिछले समझौते के अनुसार अस्थायी आधार पर पट्टा किराया की मांग की। हालांकि निफ्ट ने 15 नवंबर 2018 से 31 मार्च 2019 की अवधि के लिए प्रावधान

---

[3] ***एपीवाई सरकार का योगदान ₹107.38 करोड़, एपीवाई संवर्धन ₹2.29 करोड़ और एपीवाई के तहत प्रोत्साहन ₹99.94 करोड़***

बनाया था, लेकिन वर्ष 2019-20 के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। पट्टा किराया का प्रावधान न होने से वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों को ₹2.53 करोड़ कम दिखाया है और इस सीमा तक अधिशेष को अधिक बताया गया है।

आय और व्यय लेखा

ख. आस्थगित राजस्व आय - ₹22.40 करोड़

पूर्व अवधि आय - ₹4.74 करोड़

इसके अतिरिक्त उपर्युक्त में लेखाकरण मानक (एएस) -12 - सरकारी अनुदानों का लेखाकरण लागू होने के कारण आस्थगित मूल्यह्रास होने से आय एवं व्यय खाते में बुक किए गए ₹23.23 करोड़ (चालू वर्ष के दौरान ₹22.40 करोड़ और पूर्व अवधि के कारण 0₹.83 करोड़) शामिल हैं। निफ्ट ने सरकारी अनुदान को ₹747.42 करोड़ (आस्थगित मूल्यह्रास का निवल) तक पूंजीकृत किया, हालांकि, सरकारी अनुदानों से निर्मित संबंधित निवल संपत्ति ₹716.27 करोड़ दर्शायी गई है जिसके परिणामस्वरूप ₹31.15 करोड़ का अंतर आया है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इंगित किए जाने के बावजूद निफ्ट ने अभी तक अंतर का मिलान नहीं किया है।

28. निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली

तुलन पत्र

क. चालू देयता और प्रावधान

ईआईसी, ईआईए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोच्चि

निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) और निर्यात निरीक्षण एजेंसियों (ईआईएज़) को कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभों के लिए किया गया बीमांकिक मूल्यांकन नहीं मिला है जो केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए खातों के समान प्रारूप में निहित निर्देशों के साथ-साथ आईसीएआई द्वारा निर्धारित लेखाकरण मानकों 15 (कर्मचारी लाभ) के विचलन में है, जो बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए देयता के निर्माण के लिए निर्धारित करता है। तुलन पत्र की तिथि पर बीमांकित मूल्यांकन रिपोर्ट के अभाव में, लेखापरीक्षा 31 मार्च 2019 तक सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रदान की जाने वाली देयता की मात्रा निर्धारित नहीं कर सका।

पिछले वर्षों (2014-15 से 2017-18) की अलग-अलग लेखापरीक्षा रिपोर्टों में इंगित किए जाने के बावजूद, ईआईसी/ईआईएज़ ने अभी तक लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुरूप कोई कार्रवाई नहीं की है।

ख. चालू देयताएं (अनुसूची 3)

केंद्रीय निधि : ₹671.16 करोड़

ईआईसी

इसमें केंद्रीय निधि में अर्जित ₹3.39 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं है। ईआईसी द्वारा प्रबंधित केंद्रीय निधि में ईआईएज़ से प्राप्त राशि होती है। ईआईएज़ और ईआईसी का खर्च केंद्रीय निधि से पूरा होता है। चूंकि, यह फंड ईआईएज़ को बकाया है, इसलिए इस फंड पर अर्जित ब्याज को केवल फंड में ही जोड़ा जाना चाहिए था। इसके अलावा, ईआईसी ने अपने नोट्स टू अकाउंट्स (क्रम संख्या 5) में कहा है कि केंद्रीय निधि के जमा पर अर्जित ब्याज ईआईसी की आय होना आशयित नहीं है। हालांकि, अर्जित ब्याज को ईआईसी की आय के रूप में माना गया है जिसके परिणामस्वरूप आय को अधिक बताया गया है और चालू देयताओं को ₹3.39 करोड़ तक कम बताया गया है।

आय और व्यय लेखा

मूल्यह्रास (अनुसूची - 16) - ₹0.98 लाख

ईआईसी

इसमें पट्टे होल्ड बिल्डिंग पर ₹1.35 करोड़ का मूल्यह्रास शामिल नहीं है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) ने ईस्ट किदवई नगर स्थित भवन/कार्यालय स्थान को ईआईसी को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिया है। अप्रैल 2016 से दिसंबर 2018 तक उक्त भवन के लिए एनबीसीसी को ₹67.37 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था और एनबीसीसी ने 17 अगस्त 2018 से कब्जा का प्रस्ताव किया था। हालांकि, ईआईसी द्वारा कथित भवन पर पूंजीकृत राशि पर कोई मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।

इसके परिणामस्वरूप अचल परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया है और मूल्यह्रास व्यय को ₹1.35 करोड़ तक कम बताया गया है।

29. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली

तुलन पत्र

ख. कार्यालय स्थान लेने के लिए सहायता अनुदान - ₹7.96 करोड़

निर्धारित/विन्यास निधि (अनुसूची 3) - शून्य

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को कार्यालय परिसर के लिए स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने के लिए आवर्ती पूंजी परिसंपत्ति की दिशा में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से दिसंबर 2019 में ₹10.99 करोड़ प्राप्त हुए। इस संबंध में, निम्नलिखित देखा गया है।

i) कार्यालय परिसर के लिए स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के विशिष्ट उद्देश्य के लिए ₹10.99 करोड़ का उपरोक्त अनुदान प्राप्त हुआ है। तदनुसार, निधि आधारित लेखाकरण के अनुसार इसे निर्धारित/विन्यास निधियों के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था।

ii) सीसीआई ने मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान शर्तों के विचलन में अन्य प्रयोजनों के लिए ₹3.17 करोड़[4] खर्च किए। इसके अलावा, विचलन के लिए मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन लेने के संबंध में कोई दस्तावेज रिकार्ड में नहीं पाए गए।

iii) तुलन पत्र में ₹7.96 करोड़ (₹10.99 करोड़ घटा ₹3.17 करोड़) की शेष राशि को 'कार्यालय स्थान प्राप्त करने के लिए सहायता अनुदान' के रूप में दर्शाया गया है।

उपरोक्त के कारण सहायता अनुदान को ₹7.96 करोड़ तक अधिक बताया गया है, निर्धारित/विन्यास निधि को ₹11.13 करोड़ (₹10.99 करोड़ जमा उस पर ₹0.14 करोड़ ब्याज आय के रूप में) तक कम बताया गया है। इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप ₹2.09 करोड़ की अचल संपत्ति (सत्व द्वारा उनके गैर - स्वामित्व वाली भूमि पर अधिसंरचना को ₹0.02 करोड़ तक और फर्नीचर और फिक्स्चर को ₹2.07 करोड़[5] तक कम बताया गया है) को कम बताया गया और अधिशेष को ₹1.08 करोड़ (₹1.04 करोड़ राजस्व

---

[4] ***इंटीरियर फिट आउट के कारण एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड (एनएसएल) को ₹2.11 करोड़ का भुगतान, परामर्श शुल्क के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) को ₹0.02 करोड़ का भुगतान और किश्तों के भुगतान में देरी के लिए दंडात्मक ब्याज के कारण एनबीसीसी को ₹1.04 करोड़ का भुगतान।***

[5] ***फर्नीचर और फिक्स्चर पर मूल्यह्रास के ₹2.11 करोड़ घटा ₹0.04 करोड़***

व्यय प्रकृति वाला दंडात्मक ब्याज प्रभारित न करने और मूल्यह्रास के लिए ₹0.04 करोड़) तक अधिक बताया गया।

ख. चालू परिसंपति, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) - ₹105.13 करोड़

सीसीआई के निर्धारित/विन्यास कोषों से निवेश (अनुसूची 9) - शून्य

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को कार्यालय परिसरों के लिए स्टांप ड्यूटी का भुगतान करने के लिए आवर्ती पूंजी परिसंपत्ति की दिशा में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से दिसंबर 2019 में ₹10.99 करोड़ प्राप्त हुए।

यह देखा गया कि सीसीआई ने उपरोक्त राशि को निर्धारित/विन्यास निधियों से निवेश के तहत दर्शाने के बजाय चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों के तहत प्राप्त ₹0.14 करोड़ के ब्याज सहित उपरोक्त राशि दिखाई है, जो निधि आधारित लेखांकन के सिद्धांत के विरुद्ध है।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों को अधिक बताया गया है और निर्धारित/विन्यास निधि से निवेश को ₹11.13 करोड़ (₹10.99 करोड़ जमा ₹0.14 करोड़) तक कम बताया गया है।

30. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली

चालू देयता और प्रावधान (अनुसूची 4): ₹22.43 करोड़

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को प्रतिपूर्ति योग्य : ₹9.01 करोड़:

क. एपीईडीए को पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए योजना के तहत निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता के रूप में वर्ष 2019-20 के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमओसी एंड आई) से ₹5.40 करोड़ की राशि का अनुदान प्राप्त हुआ। इस संबंध में, यह देखा गया कि:

i) चूंकि उपरोक्त अनुदान किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्राप्त किए गए थे, इसलिए इसे 'निर्धारित निधि' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी और संबंधित व्यय (पूंजी और राजस्व) को उसके विरुद्ध समायोजित किया जाना चाहिए था ।हालांकि, एपीईडीए ने अनुदानों के साथ-साथ आय और व्यय खाते में संबंधित व्यय को मान्यता दी है।

ii) गुवाहाटी में एपीईडीए के नए कार्यालय परिसरों के आंतरिक विकास के लिए वर्ष के दौरान उपरोक्त अनुदानों में से ₹70.44 लाख का व्यय किया गया था। हालांकि, चूंकि यह

व्यय अनुदानों के अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था, इसलिए इसे आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए था और इसे प्रगति में पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) के रूप में बुक किया जाना चाहिए था ।

iii) अनुदानों से जुड़े नियम और शर्तों में यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी अव्ययित राशि को वित्तीय वर्ष के अंत तक अभ्यर्पित कर दिया जाएगा, जब तक कि अगले वर्ष के विरुद्ध समायोजित करने की अनुमति न दी जाए। इस प्रकार, ₹70.44 लाख की राशि मंत्रालय को वापस की जा सकती थी और इसे 'चालू देयता' के तहत मान्यता दी जानी चाहिए थी।

उपर्युक्त के परिणामस्वरूप अनुदानों/सब्सिडी (अनुसूची 8) और अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय (अनुसूची 15) ₹5.40 करोड़ तक अधिक बताया गया और चालू देयता और सीडब्ल्यूआईपी के ₹70.44 लाख तक कम बताया गया है। इसके अलावा, निर्धारित/विन्यास निधियों (अनुसूची 3) के तहत प्रकटीकरण में भी कमी थी।

ख. एपीईडीए ने एमओसीएंडआई से अनुरोध किया था (अक्टूबर 2018) कि वह ₹50 करोड़ तक परिवहन सहायता दावों के निपटान के लिए ₹45.81 करोड़ (जो उस समय एपीईडीए के साथ अप्रयुक्त पड़ा था) और अपने आंतरिक संसाधनों में से ₹4.19 करोड़ का उपयोग करे। एमओसीएंडआई ने एपीईडीए के अनुरोध को स्वीकार किया (जनवरी 2019)। हालांकि, एपीईडीए ने लंबित परिवहन सहायता दावों के निपटान के लिए 2018-19 के दौरान शीर्ष 'रिफंडेबल टू एमओसी एंड आई' से ₹50 करोड़ की पूरी राशि अनुदान/सब्सिडी शीर्ष को हस्तांतरित की।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयता के तहत 'रिफंडेबल टू एमओसी एंड आई' को कम बताया गया है और कॉर्पस फंड को ₹4.19 करोड़ अधिक बताया गया है।

31. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी), नई दिल्ली

महत्वपूर्ण लेखांकरण नीतियां (अनुसूची 17)

क. अपनी लेखाकरण नीति संख्या 1(बी) के अनुपालन में, एनसीआरपीबी अपनी प्राप्तियों और भुगतान खाते और पूंजी और राजस्व शीर्ष में अपने आय और व्यय खाते से संबंधित शेड्यूल का वर्गीकरण कर रहा है। यह वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के समान प्रारूप के अनुरूप नहीं है। वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 की सीएजी के प्रतिवेदनों में

यह बात कही गई थी। हालांकि प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और विसंगति बनी हुई है।

ख. लेखाकरण नीति संख्या 3(क) में कहा गया है कि ''कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों/प्रतिपूर्ति को छोड़कर सभी खर्चों को उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है।'' उपर्युक्त लेखाकरण नीति लेखाकरण की उपार्जन अवधारणा और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के समान प्रारूप के अनुरूप नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए सीएजी के प्रतिवेदनों में इस मुद्दे पर टिप्पणी की गई थी, लेकिन प्रबंधन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और विसंगति बनी हुई है।

32. राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली

तुलन पत्र (देयताएँ)

क. चालू देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची 3) - ₹94.09 लाख

उपर्युक्त में क्रमशः ₹37.67 लाख और ₹25.70 लाख की अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का प्रावधान शामिल था। हालांकि, यह प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप लेखांकन मानक-15 "कर्मचारी लाभ" का उल्लंघन हुआ है। यह मुद्दा पहले 2017-18 और 2018-19 के दौरान उठाया गया था लेकिन प्रबंधन द्वारा आश्वासन के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. आय एवं व्यय लेखा (व्यय)

उपर्युक्त में 2019-20 की अवधि से संबंधित ₹1.60 लाख का व्यय शामिल नहीं हैं। संबंधित बिल फरवरी और मार्च **2020** के महीनों में प्राप्त हुए थे। इस प्रकार, उपरोक्त के परिणामस्वरूप व्ययों को कम बताया गया है और चालू देयता और प्रावधानों को ₹1.60 लाख तक कम बताया गया है।

33. एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

सामान्य- महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां (अनुसूची-24)

अचल परिसंपतिया (लेखाकरण नीति संख्या 5)

अचल परिसंपत्तियों के संबंध में उपर्युक्त महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति अचल परिसंपत्तियों के प्रस्तुत करने की निर्धारित विधि सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन मानक 12 के अनुरूप नहीं है।

अनुलग्नक-VIII

{पैरा 1.8 में संदर्भित}

स्वायत्त निकायों जहां वर्ष 2019-20 दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
3.	कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता
4.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद
5.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
6.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली
7.	निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, नई दिल्ली
8.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद
11.	पारादीप पतन ट्रस्ट, पारादीप
12.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली
13.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
14.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन, कोलकाता
15.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर
16.	वी.ओ चिदंबरनार पतन ट्रस्ट, तूतीकोरिन

अनुलग्नक-IX
{पैरा 1.8 में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2019-20 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद
3.	कॉयर बोर्ड, कोच्चि
4.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली
5.	भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नई
6.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
7.	मुंबई पतन ट्रस्ट, मुंबई
8.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद
9.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल
10.	नया मैंगलोर पतन ट्रस्ट, मैंगलोर
11.	तेल उद्योग विकास बोर्ड, नोएडा
12.	पारादीप पतन ट्रस्ट, पारादीप
13.	राजीव गांधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली
14.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन, कोलकाता
15.	विशाखापत्तनम पतन ट्रस्ट, विशाखापत्तनम
16.	वी.ओ चिदंबरनार पतन ट्रस्ट, तूतीकोरिन

अनुलग्नक-X

{पैरा 1.8 में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जहां वर्ष 2019-20 के दौरान माल का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
3.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद
4.	कॉयर बोर्ड, कोच्चि
5.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली
6.	मुंबई पतन ट्रस्ट, मुंबई
7.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल
8.	फैशन प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली
9.	पारादीप पतन ट्रस्ट, पारादीप
10.	राजीव गाँधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली
11.	मसाला बोर्ड, कोच्चि
12.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन, कोलकाता
13.	वि.ओ चिदंबरनार पतन ट्रस्ट, तूतीकोरिन

अनुलग्नक-XI

{पैरा 1.8 में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय, जो वसूली/ कैश आधार पर अनुदान के लिए लेखांकन कर रहे हैं

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली
3.	कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड, कोलकाता
4.	निर्यात निरीक्षण परिषद, नई दिल्ली
5.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली
7.	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली
8.	राष्ट्रीय जूट बोर्ड, कोलकाता
9.	पारादीप पतन ट्रस्ट, पारादीप
10.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली
11.	राजीव गाँधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान, रायबरेली
12.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पतन, कोलकाता

अनुलग्नक-XII

{पैरा 1.8 में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जिन्होंने बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का लेखा नहीं दिया है

क्र.सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली
2.	केंद्रीय रेशम बोर्ड, हैदराबाद
3.	कोचीन पत्तन ट्रस्ट, कोचीन
4.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
5.	दिल्ली शहरी कला आयोग, नई दिल्ली
6.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन ट्रस्ट , मुंबई
7.	संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, नई दिल्ली
8.	मुंबई पत्तन ट्रस्ट, मुंबई
9.	मुंबई पत्तन ट्रस्ट पेंशन फंड, मुंबई
10.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि
11.	पारादीप पत्तन ट्रस्ट, पारादीप
12.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, नई दिल्ली
13.	रबड़ बोर्ड, कोट्टायम
14.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता
15.	तंबाकू बोर्ड, गुंटूर
16.	विशाखापत्तनम पत्तन ट्रस्ट, विशाखापत्तनम

अनुलग्नक-XIII

{पैरा 1.8 में संदर्भित}

स्वायत्त निकाय जिन्होंने लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप लेखाओं को संशोधित किया

क्र. सं.	स्वायत्त निकाय का नाम
1.	कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु
2.	बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद
3.	विशाखापत्तनम पत्तन ट्रस्ट, विशाखापत्तनम
4.	वी.ओ चिदंबरनार पत्तन ट्रस्ट, तूतीकोरिन

अनुलग्नक-XIV

(पैरा 1.9 में संदर्भित)

बकाया कार्रवाई मे लिए गए नोटस की स्थिती

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	बकाया एटीएनस की स्थिति	
			एटीएन एक बार भी प्राप्त नहीं हुई	विभिन्न चरणों प्रक्रिया के तहत
1.	वाणिज्य और उद्योग	मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए 2018 की प्रतिवेदन संख्या 4	0	1
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	0	1
2.	कारपोरेट कार्य	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	0	1
3.	आवासन और शहरी कार्य	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की रिपोर्ट संख्या 3	4	7
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	0	1
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	0	1
5.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए 2016 की प्रतिवेदन संख्या 11	0	1
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	1	1
6.	विद्युत	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3	1	0
7.	सड़क परिवहन और राजमार्ग	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3	1	0

8.	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3	1	4
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	1	4
9.	वस्त्र	मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	0	1
10.	पर्यटन	मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3	0	2
		मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए 2020 की प्रतिवेदन संख्या 10	0	1
			9	**26**

अनुलग्नक-XV
(पैरा 2.1.6 में संदर्भित)

लेखापरीक्षा द्वारा ई-फार्म और सेवाओं के रूप में मांगा गया विवरण

(क) लगभाग 100 ई-फार्म में से, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित 10 ई-फॉर्म से संबंधित आंकड़ों की मांग की

क्र.सं	ई-फार्म	ई-फार्म का विवरण
1.	एसपीआईसीई, (आईएनसी-32)	कंपनी के निगमन के लिए एकीकृत फार्म
2.	आईएनसी -33	संस्था के ज्ञापन (एमओए)
3.	आईएनसी -34	संस्था के लेख (एओए)
4.	डीआईआर- 3सी	रजिस्ट्रार, डीआईएन सेवाओं को कंपनी द्वारा निदेशक पहचान संख्या की सूचना
5.	डीआईआर-9	निदेशक की अपात्रता की सूचना देने के लिए कंपनी द्वारा आरओसी को प्रतिवेदन
6.	सीएचजी-1	सृजन के पंजीकरण के लिए आवेदन, प्रभार में संशोधन (उनसे अन्य, जो डिबेंचर से संबंधित है)
7.	सीएचजी -4	प्रभार की संतुष्टि के लिए विवरण
8.	सीएचजी -8	केंद्र सरकार को सृजन के पंजीकरण/संशोधन/प्रभार की संतुष्टि के विवरण दाखिल करने के लिए समय विस्तार के लिए आवेदन या किसी की चूक या विशेष रूप से प्रभार के सृजन/संशोधन/संतुष्टि के संबंध में गलत विवरण के सुधार के लिए
9.	एओसी-4/एओसी-4 (एक्सबीआरएल)	रजिस्ट्रार के पास वित्तीय विवरण और अन्य दस्तावेज दर्ज करने के लिए फॉर्म/रजिस्ट्रार के पास वित्तीय विवरण संबंधी एक्सबीआरएल दस्तावेज और अन्य दस्तावेज दर्ज करने के लिए फॉर्म
10.	एमजीटी -7	कंपनी द्वारा वार्षिक रिटर्न दर्ज करने के लिए फॉर्म

(ख) जहां तक सेवाओं का संबंध है, ऑडिट ने हितधारकों को सेवा वितरण में दक्षता की जांच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का पालन करने से संबंधित निम्नलिखित डेटा की मांग की

क्रम.सं.	**सेवा का प्रकार**	**एमसीए21 परियोजना (यानी, एमसीए21 के संस्करण 2 के लिए) को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आर्थिक मामलों के लिए कैबिनेट समिति के लिए नोट में मंत्रालय द्वारा चित्रित समयसीमा और वर्तमान स्थिति**		
		एमसीए21 से पहले	**एमसीए21 के बाद**	**वर्तमान स्थिति**
1.	निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करें	-	2-7 दिन	ऑनलाइन
2.	नाम अनुमोदन	7 दिन	1 दिन	ऑनलाइन/एक दिन
3.	कंपनी निगमन	15 दिन	1-2 दिन	1-2 दिन
4.	कंपनी का नाम परिवर्तन	15 दिन	3 दिन	ऑनलाइन
5.	प्रभार सृजन/ संशोधन	10-15 दिन	2 दिन	ऑनलाइन- ज्यादातर मामलों में तत्काल
6.	पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन	60 दिन	1-3 दिन	तत्काल
7.	प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि	60 दिन	1-3 दिन	24 घंटे में

अनुलग्नक-XVI

{(पैरा 2.1.8.1 (क) में संदर्भित)}

एक पैन पर एक से अधिक निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) आवंटित

क्र.सं.	डीआईएन	पहला_ नाम	मध्य_ नाम	आखरी नाम	पिता_पहला_नाम	पिता_मध्य_नाम	पिता_आखरी_नाम	पैन
1.	08720641	सुमन		भास्कर	नंदलाल			DQUPB2037R
2.	08720663	सुमन		भास्कर	नंदलाल			DQUPB2037R
3.	08653614	संदीप		शर्मा	सत्य	नारायण	शर्मा	EJCPS8791D
4.	08654372	संदीप		शर्मा	सत्य	नारायण	शर्मा	EJCPS8791D
5.	08637265	नरेश		प्रधान	बाल		प्रधान	ESBPP6467F
6.	08637534	नरेश		प्रधान	बाल		प्रधान	ESBPP6467F
7.	08720640	रुचिका		कपूर	अनिल		सोनी	EUSPK2803P
8.	08720642	रुचिका		कपूर	अनिल		सोनी ने	EUSPK2803P
9.	08643313	अमोल	सज्जन	शम्भरकर	सज्जन	रखू	शम्भरकर	GHWPS1895E
10.	08643336	अमोल	सज्जन	शम्भरकर	सज्जन	रखू	शम्भरकर	GHWPS1895E
11.	08646085	ममता	कुंवर	शक्तावत	प्रताप		सिंह	HAZPS4347N
12.	08652786	ममता	कुंवर	शक्तावत	प्रताप		सिंह	HAZPS4347N
13.	08461388	धीरज		कुमार	ओम	प्रकाश	गुप्ता	HJZPK5626K
14.	08461391	धीरज		कुमार	ओम	प्रकाश	गुप्ता	HJZPK5626K
15.	02649161	बाबू	लाल	सिंह	बदलू		सिंह	KZLPS7389A
16.	08484098	बाबू	लाल	सिंह	बदलू		सिंह	KZLPS7389A

17.	08643262	मिनाशी	अमोल	शाबरकर	बाबारॉव		भगत	MIBPS1243J
18.	08643335	मिनाशी	अमोल	शाबरकर	बाबारॉव		भगत	MIBPS1243J
19.	08462753	धीर		सिंह	नसीब		सिंह	FEGPS5082K
20.	08467978	धीर		सिंह	नसीब		सिंह	FEGPS5082K

अनुलग्नक - XVII

{(पैरा 2.1.8.1 (ख) में संदर्भित)}

बिना किसी पहचान विवरण के निदेशक पहचान संख्या

क्र.सं.	डीआईएन	पहला _नाम	पैन	मतदाता पहचान पत्र _आईडी_सं.	पास्पोर्ट_सं.	ड्राइविंग_लाइसेंस	अधार_सं.	जन्म_की_तिथि	स्टार्ट_तिथि
1.	07484742	अनंदन						19550301	20160404
2.	07491698	अभिषेक						19871117	20160413
3.	07496683	ग्रेगरी						19600528	20160419
4.	08408997	रिकी						19991102	20190401
5.	08409012	रिकी						19991102	20190401
6.	08411713	जगनमोहन						19740513	20190403
7.	08416198	निशिगंधा						19600501	20190408
8.	08428839	संतोष:						19840515	20190422
9.	08442988	रवि						19840707	20190503
10.	08461390	राकेश						19870927	20190523
11.	08469509	मनोवर						19810510	20190531
12.	08473875	विश्वनाथ						19620806	20190606
13.	08476198	सल्मा						19780525	20190610
14.	08478743	बलजीत						19860107	20190612
15.	08508552	आकांक्षा						19790619	20190712
16.	08517001	सरिता						19771001	20190722

17.	08539898	युसुफ						19830617	20190819
18.	08540928	हेतल						19781121	20190820
19.	08561281	हरिता प्रिया						19720401	20190912
20.	08516997	सरिता						19771001	20190722

अनुलग्नक-XVIII

{(पैरा 2.1.8.1 (ग) में संदर्भित}

निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) के प्रारंभ दिनांक में खाली या शून्य

क्र.सं.	डीआईएन	शुरू करने की तिथि
1.	08233948	00000000
2.	08351388	00000000
3.	08318034	00000000
4.	08234645	00000000
5.	08231695	00000000
6.	08234197	00000000
7.	08238556	00000000
8.	08233905	00000000
9.	08234115	00000000
10.	08234622	00000000
11.	08234609	00000000
12.	08467984	00000000
13.	08238588	00000000
14.	08234693	00000000
15.	08234610	00000000
16.	08234113	00000000

17.	08234194	00000000
18.	08238515	00000000
19.	08234670	00000000
20.	08441704	00000000

अनुलग्नक-XIX

{(पैरा 2.1.8.2 (क) में संदर्भित}

अधिकतम सीमा से अधिक डायरेक्टरशिप

क्र.सं.	डीआईएन	पहला_ नाम	मध्य_ नाम	डायरेक्टरशिप की संख्या
1.	00011923	निरंजन	लखुमल	163
2.	00005195	कमल		86
3.	03049865	सुभाष		82
4.	00084120	शरद	कुमार	81
5.	00912570	तयाग		79
6.	00289572	याज़दी	होशी	78
7.	00011487	सूरेन्द्र	लखूमाल	138
8.	01434873	सुधीर	केशवलाल	68
9.	00012837	अरुण	कुमार	66
10.	00084058	गारफील्ड	विलियम	67
11.	08088999	उर्मिला		62
12.	00011521	कमल	निरंजन	119
13.	01999406	गणेश	वी	59
14.	01994792	जितेंद्र	भास्कर	57
15.	00025832	शीओ	कुमार	64
16.	03036731	संजय	कुमार	48
17.	00916016	अमित		52
18.	00010924	शीओ	कुमार	45
19.	00200569	अशोक		45
20.	03101080	अनिल		41

अनुलग्नक-XX
{(पैरा 2.1.8.2 (ख) में संदर्भित)}

निजी कंपनियां जिनमें निदेशक निर्धारित न्यूनतम संख्या से कम है

क्र.सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	आरओसी_कोड़	कंपनी_वर्ग	निर्देशको की संख्या
1.	U99999DL1986PTC024697	बंटी फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
2.	U99999DL1956PTC002683	दीपक एजेंसीज़ प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
3	U65923DL1958PTC002890	ओम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
4.	U29190DL1966PTC004536	कॉनसोल एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
5.	U65921DL1963PTC003938	अमर ज्योति फाइनेसिंग कं. प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
6.	U19129DL1959PTC003029	पुक्का बाइंडर प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
7.	U65921DL1964PTC004152	प्रेम एग्रो इंडसट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
8.	U29299DL1966PTC004538	एनसीलियरीज़ एंड कांम्पोनेट प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
9.	U74899DL1991PTC043662	पेरिफेरल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
10.	U19201DL1997PTC089496	आशीर्वाद फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
11.	U31200DL2000PTC152500	कल्पतरु एनेर्जी वैंचर प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
12.	U25199DL1959PTC003090	कल्सीट्रायर्स प्राईवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
13.	U31909DL1988PTC030646	एकता वायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं

14.	U74899DL1994PTC057374	एमआर मशरूमस और एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
15.	U74899DL1995PTC070921	पेंगुइन क्लोथिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
16.	U51223DL1997PTC086052	क्वालिटी चिक्स प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
17.	U74900DL1999PTC097841	सिरियो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
18.	U74300DL2001PTC110811	न्यू एडविरटाइज़मेंट मीडिया ऐंटरटेंमेट प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
19.	U74140DL2004PTC127872	एएसएफ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
20.	U51109DL2000PTC103781	फाल्गुनी इंडिया ट्रैवल प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	कोई निदेशक नहीं
21.	U32107DL2001PTC110655	एड-येबल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	एक निदेशक
22.	U74900DL2009PTC192719	किंगसवेल टेलिसाल्यूसनस प्राइवेट लिमिटेड	आरसी101	निजी	एक निदेशक

अनुलग्नक-XXI

{(पैरा 2.1.8.2 (ख) में संदर्भित}

सार्वजनिक कंपनियां जिनमें निदेशकों की संख्या न्यूनतम संख्या से कम है।

क्र.सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	आरओसी_कोड	पंजीकरण_सं.	कंपनी_श्रेणी	निदेशकों की संख्या
1.	U18101HR1979PLC009582	आरसी101	9582	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
2.	L17112HR1986PLC025724	आरसी101	25724	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
3.	U65910DL1983PLC014976	आरसी101	14976	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
4.	U51909DL1910PLC019317	आरसी101	19317	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
5.	L51909DL1984PLC018623	आरसी101	18623	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
6.	U74899DL1986PLC023107	आरसी101	23107	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
7.	U24231DL1986PLC023656	आरसी101	23656	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
8.	U27106DL1990PLC040627	आरसी101	40627	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
9.	U74899DL1992PLC048319	आरसी101	48319	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
10.	U93000DL1992PLC048501	आरसी101	48501	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
11.	U26941DL1992PLC048743	आरसी101	48743	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
12.	U67120DL1994PLC062103	आरसी101	62103	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
13.	U65993DL1996PLC075388	आरसी101	75388	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
14.	U74899DL2000PLC106740	आरसी101	106740	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
15.	L51909HR1974PLC009836	आरसी101	9836	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
16.	L43342HR1901PLC030576	आरसी101	30576	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
17.	U27100HR1991PLC031369	आरसी101	31369	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
18.	U74999DL1992PLC048186	आरसी101	48186	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
19.	U31900DL1992PLC047893	आरसी101	47893	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं

20.	U24232DL1992PLC048854	आरसी101	48854	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
21.	U67120DL1992PLC049520	आरसी101	49520	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
22.	U74899DL1996PLC075478	आरसी101	75478	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं
23.	U24114DL1996PLC080667	आरसी101	80667	सार्वजनिक	कोई निदेशक नहीं

अनुलग्नक-XXII

{(पैरा 2.1.8.2 (ख) में संदर्भित)}

एक व्यक्ति कंपनी जिसका कोई निदेशक नहीं है

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	नाम_ओआरजी	क्रपनी_श्रेणी
U74140DL2015OPC284935	ट्रेपरेक्स टेक्निकल सर्विस ओपीसी प्राइवेट	निजी (एक व्यक्ति कंपनी)
U74999KA2016OPC096171	पैक्रूट प्रोडक्ट पैकेजिंग ब्रांडिंग	निजी (एक व्यक्ति कंपनी)
U72900KA2016OPC096308	स्टीयरनेट टैक्नोलिजीज़ (ओपीसी) प्राइवेट	निजी (एक व्यक्ति कंपनी)
U72900TN2016OPC112987	डॉजप्ले (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	निजी (एक व्यक्ति कंपनी)

अनुलग्नक-XXIII

(पैरा 2.1.8.3 में संदर्भित)

कंपनी की निगम पहचान संख्या जिसमें व्यक्तिगत पैन है

क्र. सं.	निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	आरओसी_कोड	कंपनी_श्रेणी	पैन_संख्या
1.	U15316DL2009PTC196315	आरसी 101	निजी	AOEPS7229F
2.	U40106DL2015PTC281276	आरसी 101	निजी	AEUPJ3129H
3.	U74140HR2015PTC056340	आरसी 101	निजी	FRNPP9999P
4.	U74140DL2014PTC273623	आरसी 101	निजी	BMSPA4505R
5.	U72300DL2015PTC275085	आरसी 101	निजी	ARGPJ2351J
6.	U72900DL2008PTC177506	आरसी 101	निजी	AXGPJ6738D
7.	U74999DL2018PTC341275	आरसी 101	निजी	ANNPM3749A
8.	U74999HR2015PTC056484	आरसी 101	निजी	ALTPK5417B
9.	U70109DL2015PTC275342	आरसी 101	निजी	AAMPG3775E
10.	U72400DL2016PTC298171	आरसी 101	निजी	ASAPS5041B
11.	U74999DL2016PTC299862	आरसी 101	निजी	AHBPG7392K
12.	U52310DL2007PTC163459	आरसी 101	निजी	ABAPG9511B
13.	U45208DL2002PTC115052	आरसी 101	निजी	ANFPS9597L
14.	U18109DL2015PTC288671	आरसी 101	निजी	AFEPK1445E
15.	U74999DL2016PTC300268	आरसी 101	निजी	AKFPS5450H
16.	U65992HR2015PTC056810	आरसी 101	निजी	ADNPK6655K
17.	U72200DL2005PTC137095	आरसी 101	निजी	AUVPK8594A
18.	U99999HR2001PTC034628	आरसी 101	निजी	AAIPC8981P
19.	U74140HR2010PTC040244	आरसी 101	निजी	AAFPC3879C
20.	U80904HR2017PTC067719	आरसी 101	निजी	AACPA1674C

अनुलग्नक-XXIV
(पैरा 2.1.8.4 में संदर्भित)

बिल्कुल एक ही नाम वाली कंपनियां

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	पता	कंपनी की स्थिति
1.	U22219DL2017PTC310457	आलवेज़ फर्स्ट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	10/173, दक्षिण पुरी, नई दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली 110062	एसीटीवी
	U22219DL2017PTC310460	आलवेज़ फर्स्ट पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड	10/173, दक्षिण पुरी, नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली डीएल 110062 भारत	एसीटीवी
2.	U74999HR1994PTC035383	स्पेसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	13ए औद्योगिक देव.कॉलोनीमेहरौली रोड गुड़गांव एचआर 000000 भारत	एसीटीवी
	U74899DL1994PTC063469	स्पेसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	112 लक्ष्मी चैंबर्स, डी 223 विकास मार्ग, नई दिल्ली डीएल 110092 भारत	एसीटीवी
3.	U55101HR1992PTC031831	गजराज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	मोटल गजराज कॉन्टिनेंटल, बहादुरगढ़ बाई-पास जाखोदा गांव के पास बहादुरगढ़ झज्जर एचआर 124507 भारत	एसीटीवी
	U55100JH1990PTC003758	गजराज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	एचआईजी 4 हाउसिंग कॉलोनी धनबाद धनबाद झा 826001 भारत	एसीटीवी
4.	U51909DL2001PTC113026	प्रथम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	सुइट 702 नीलगिरि प्लेस9 बाराखंबा रोड नई दिल्ली सेंट्रल दिल्ली डीएल 110001 भारत	एसीटीवी
	U50103WD2004PTC098342	प्रथम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	16ए एवरेस्ट हाउस 46सी जे एल नेहरू रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल 700071 भारत	एसीटीवी
5.	U74900DL1996PTC084079	पैराडाइस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	शॉप सं. 8 डीडीए शॉपिंग सेंटर गीतांजलि ग्रीन पार्क नई दिल्ली डीएल 110070	एसीटीवी

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	पता	कंपनी की स्थिति
	U74899DL1990PTC038846	पैराडाइजस ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	1/7151, शिवाजी पार्क शाहदरा नई दिल्ली दिल्ली डीएल 110032 भारत	एसीटीवी
6.	U74899DL1989PTC037301	राजन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	11 - बी/8, पूसा रोड नई दिल्ली नई दिल्ली डीएल 110005 भारत	एसीटीवी
	U55101UP1989PTC011104	राजन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	3/9-ए एम जी रोड आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश यूपी 282001 भारत	एसीटीवी
7.	U70101RJ1993PTC007415	सुमेरु एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	16, लाल निवास, नारायण सिंह सर्कल, जयपुर आरजे 000000 भारत	एसीटीवी
	U70101WB2004PTC098704	सुमेरु एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	दूसरी मंजित उत्तरापन टी कोम के पास सेल एच.सी. रोड प्रधान नगर सिलीगुड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल 734003 भारत	एसीटीवी
8.	U74900DL1999PTC098296	रत्नाकर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट नंबर 77, दूसरी मंजिल, ब्लॉक जी, पॉकेट 20, सेक्टर 7, रोहिणी, दिल्ली 110085, भारत	एसीटीवी
	U51101MP1998PTC013132	रत्नाकर इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड	415-ए, सिटी सेंटर, 570 एम जी रोड, इंदौर, इंदौर, मध्य प्रदेश 452001, भारत	एसीटीवी
9.	U15146DL2018PTC338243	कुशलता बेकस प्राइवेट लिमिटेड	सं. 1, राज नगर एन्क्लेव, पीतम पुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली 110034, भारत	एसीटीवी
	U15146DL460L2018PTC339050	कुशलता बेकस प्राइवेट लिमिटेड	सं. 1, राज नगर एन्क्लेव, पीतम पुरा, उत्तर पश्चिम दिल्ली 110034, भारत	एसीटीवी
10.	U70200DL2017PTC313461	एहाइट रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड	एच. सं. 3937, गली अस्पताल वाली, पहली मंजिल, दरिया गंज नई दिल्ली, सेन्ट्रल दिल्ली 110002, भारत	एसीटीवी

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	पता	कंपनी की स्थिति
	U70200DL2017PTC313463	एहाइट रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड	एच. सं. 3937, गली अस्पताल वाली, पहली मंजिल, दरिया गंज नई दिल्ली, सेन्ट्रल दिल्ली 110002, भारत	एसीटीवी
11.	U74991DL2016PTC300162	दासवंध प्राइवेट लिमिटेड	डी-1, 111 जनकपुरी, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110058, भारत	एसीटीवी
	U74999DL2016PTC300612	दासवंध प्राइवेट लिमिटेड	डी-1, 111 जनकपुरी, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली, दिल्ली 110058, भारत	एसीटीवी
12.	U01100MH2016PTC281003	कनेरा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	क्वाटर सं. बी/3 डब्ल्यूसीएल माइन्स रिज्यू स्टेशन इंदौरा कॉम्प्लेक्स, कल्पना नगर नागपुर नागपुर एमएच 440026 भारत	एसीटीवी
	U51599MH2016PTC281002	कनेरा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	क्वाटर सं. बी/3 डब्ल्यूसीएल माइंस रिज्यू स्टेशन इंदौर कॉम्प्लेक्स, कल्पना नगर, नागपुर, नागपुर, महाराष्ट्र 440026, भारत	एसीटीवी
13.	U01100TG2016PTC109928	अनविथा एग्री बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट सं. 506, लिली ब्लॉक, नागार्जुन ड्रीम लैंड सेंट मार्टिंस इंजीनियरिंग कॉलेज के पास कम्पल्ली हैदराबाद, तेलंगाना 500014 भारत	एसीटीवी
	U01100TG2016PTC109978	अनविथा एग्री बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट सं. 506, लिली ब्लॉक, नागार्जुन ड्रीम लैंड सेंट मार्टिंस इंजीनियरिंग कॉलेज के पास कम्पल्ली हैदराबाद, तेलंगाना 500014 भारत	एसीटीवी
14.	U74999HR2016PTC064319	एप्सिनवो प्राइवेट लिमिटेड	जी-1002 सुशांत लोक-II सेक्टर 57 गुड़गांव हरियाणा 122002 भारत	एसीटीवी
	U72900DL2016PTC300616	एप्सिनवो प्राइवेट लिमिटेड	हाउस सं. जी-1002, सुशांत लोक-II सेक्टर-57, गुड़गांव गुड़गांव सेंट्रल दिल्ली डीएल 110001 भारत	एसीटीवी

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	पता	कंपनी की स्थिति
15.	U24293TG2016PTC109763	पुटजेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट सं. 501ए एसवाई नंबर 165, 166, 167 17 साई गांव राजीव गृहकल्पा रोड प्रगति नगर हैदराबाद तेलंगाना 500090 भारत	एसीटीवी
	U2436TG2016PTC109969	पुटजेन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	फ्लैट सं. 78, ब्लॉक सं. एस3, श्री साई सदन अपार्टमेंट्स मधुरा नगर, नियर.सरदी स्टूडियो हैदराबाद हैदराबाद टीजी 500038 भारत	एसीटीवी
16.	U51909DL1953PTC002351	बाली एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	27 बी/11 न्यू रोहतक रोड नई दिल्ली 000000 भारत	एसीटीवी
	U63090DL1999PTC099525	बाली एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	एफ-30 भगत सिंह मार्केट नई दिल्ली दिल्ली 110001 भारत	एसीटीवी
17.	U51909DL1997PTC087267	बेंचमार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	13/436 सुंदर विहार क्वार्टर रिंग रोड पश्चिम विहार नई दिल्ली 110087 भारत	एसीटीवी
	U51395DL2001PTC111751	बेंचमार्क टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	पी-54 विष्णु उद्यान शीतला माता मंदिर के पास नई दिल्ली पश्चिम दिल्ली दिल्ली 110018 भारत	एसीटीवी
18.	U74899DL1994PLC058237	एस्सेल इंटरनेशनल लिमिटेड	12 साधना एन्क्लेव नई दिल्ली दिल्ली 110017 भारत	एसीटीवी
	U74899DL1994PLC059874	एस्सेल इंटरनेशनल लिमिटेड	जी-17 सिंगल स्टोरी बिल्डिंग विजय नगर मॉडल टाउन उत्तरी दिल्ली दिल्ली 110009 भारत	एसीटीवी
19.	U36109TG2016PTC109565	सीमिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट सं. एसवी-320/1 और 315/3 चंदा नगर स्लिंगमपल्ली हैदराबाद रंगारेड्डी तेलंगाना 500047 भारत	एसीटीवी

क्र. सं.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	पूरा_नाम	पता	कंपनी की स्थिति
	U36900TG2016PTC109972	सीमिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	सर्वेक्षण संख्या 18/ए कोकापेट राजेंद्र नगर हैदराबाद तेलंगाना 500075 भारत	एसीटीवी
20.	U01111MH2016PTC282294	कृषिपुत्र प्राइवेट लिमिटेड	शॉप सं. एसटी 30/बी02 बीज बाजार- नया बाजार यार्ड जालना जालना महाराष्ट्र 431203 भारत	एसीटीवी
	U01111MH2016PTC282295	कृषिपुत्र प्राइवेट लिमिटेड	शॉप सं. एसटी 30/बी02 बीज बाजार- नया बाजार यार्ड जालना जालना महाराष्ट्र 431203 भारत	एसीटीवी

अनुलग्नक-XXV
(पैरा 2.1.8.6 में संदर्भित)

कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन करने के बाद कंपनियों के निगमन के लिए आवेदन करने में लगने वाला समय

क्र. सं. (क)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म का एसआरएन[1] सं. (ख)	एसपीआईसी ई-फॉर्म की आवेदन तारीख (ग)	आईएनसी-1[2] का एसआरएन सं. (घ)	आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (ड.)	आईएनसी पत्र के अनुसार आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (च)	आईएनसी पत्र के अनुसार एसआरएन की वैधता (छ)	प्रस्तावित_नाम (ज)	नाम अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख से कंपनी के निगमन की तारीख तक लिया गया समय (ग-ड.) (दिन)
1.	G38132619	21-03-2017	C79370334	21-02-2016	21-02-2016	21-04-2016	रश्ते चैरिटेबल फाउंडेशन	394
2.	G35203181	06-11-2017	G33933730	27-01-2017	25-01-2017	26-03-2017	मोनो प्रिविलेज प्राइवेट लिमिटेड	283
3.	G36843043	06-11-2017	G35455658	14-02-2017	12-02-2017	13-04-2017	आइडिया 2 इम्प्लीमेंटेशन कंसल्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	265
4.	G32632523	11-01-2017	G02783629	09-05-2016	07-05-2016	06-07-2016	एक्जपेंलेरी पॉवर कंट्रोल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	247
5.	H46202701	07-03-2019	G92606680	16-07-2018	11-07-2018	12-08-2018	संयुक्त सेवा फेडरेशन	234
6.	G36290674	28-06-2017	G31691405	09-01-2017	30-12-2016	28-02-2017	पोलस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	170

[1] *सेवा अनुरोध संख्या*

[2] *फॉर्म आईएनसी-1 किसी कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन करने के लिए है*

क्र. सं. (क)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म का एसआरएन[1] सं. (ख)	एसपीआईसी ई-फॉर्म की आवेदन तारीख (ग)	आईएनसी-1[2] का एसआरएन सं. (घ)	आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (ड.)	आईएनसी पत्र के अनुसार आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (च)	आईएनसी पत्र के अनुसार एसआरएन की वैधता (छ)	प्रस्तावित_नाम (ज)	नाम अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख से कंपनी के निगमन की तारीख तक लिया गया समय (ग-ड.) (दिन)
7.	G35944990	20-02-2017	G10576312	05-09-2016	03-09-2016	02-11-2016	एलईडी रोडवे लाइटिंग एंड कंट्रोल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	168
8.	H48720445	30-03-2019	H24051328	29-10-2018	26-10-2018	03-12-2018	नन्ही तितली विकास फाउंडेशन	152
9.	G51080273	06-11-2017	G47211115	30-06-2017	29-06-2017	28-08-2017	एपोच इनोवा प्राइवेट लिमिटेड	129
10.	H41856154	16-01-2019	H11167517	17-09-2018	13-09-2018	14-10-2018	नीड बॉक्स फाउंडेशन	121
11.	H45991866	30-05-2019	H43262641	30-01-2019	29-01-2019	03-03-2019	कोचाल सेंट एंटोनी निधि लिमिटेड	120
12.	G35061001	08-02-2017	G16190464	21-10-2016	21-10-2016	20-12-2016	पुरनचंद डी. हेमलानी सहयोग फाउंडेशन	110
13.	G48172589	14-07-2017	G40054843	06-04-2017	04-04-2017	03-06-2017	ज़ांयन फाउंडेशन	99
14.	G63540520	23-11-2017	G50940089	22-08-2017	21-08-2017	20-10-2017	साया सेवा फाउंडेशन	93
15.	G50048511	25-08-2017	G44426070	25-05-2017	25-05-2017	24-07-2017	टेक्नोशोर बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	92
16.	G50405794	11-09-2017	G45874104	13-06-2017	13-06-2017	12-08-2017	विरडी इनफिनिटम सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	90

क्र. सं. (क)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म का एसआरएन[1] सं. (ख)	एसपीआईसी ई-फॉर्म की आवेदन तारीख (ग)	आईएनसी-1[2] का एसआरएन सं. (घ)	आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (ड.)	आईएनसी पत्र के अनुसार आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (च)	आईएनसी पत्र के अनुसार एसआरएन की वैधता (छ)	प्रस्तावित_नाम (ज)	नाम अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख से कंपनी के निगमन की तारीख तक लिया गया समय (ग-ड.) (दिन)
17.	G35050087	08-03-2017	G28933810	09-12-2016	09-12-2016	07-02-2017	शांभवी एडुस्किल कंसल्टेंट्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	89
18.	H47206503	08-05-2019	H44308070	08-02-2019	08-02-2019	04-03-2019	अर्बन एलीट मेडिकेयर फाउंडेशन	89
19.	G53218319	19-09-2017	G46603783	23-06-2017	21-06-2017	20-08-2017	पेन्ना फाउंडेशन	88
20.	H46109773	09-05-2019	H44472223	11-02-2019	10-02-2019	17-03-2019	हसा गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	87
21.	G42599480	26-05-2017	G36809903	01-03-2017	28-02-2017	29-04-2017	सिटी हाउस माइक्रोफाइनेंस एसोसिएशन	86
22.	G73643884	17-01-2018	G57193138	23-10-2017	20-10-2017	19-12-2017	जोइन 2 आर फाउंडेशन	86
23.	G37957164	13-04-2017	G33183377	18-01-2017	17-01-2017	18-03-2017	मेक माई पिक पोस्ट प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	85
24.	G48294698	04-08-2017	G43591569	16-05-2017	15-05-2017	14-07-2017	टीगो सॉल्यूशंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	80
25.	G42007237	18-05-2017	G36675718	28-02-2017	27-02-2017	28-04-2017	हाहारो इंफ्राकॉन एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	79
26.	G45381043	08-06-2017	G38547212	21-03-2017	20-03-2017	19-05-2017	निराला टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	79

क्र. सं. (क)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म का एसआरएन[1] सं. (ख)	एसपीआईसी ई-फॉर्म की आवेदन तारीख (ग)	आईएनसी-1[2] का एसआरएन सं. (घ)	आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (ड.)	आईएनसी पत्र के अनुसार आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (च)	आईएनसी पत्र के अनुसार एसआरएन की वैधता (छ)	प्रस्तावित_नाम (ज)	नाम अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख से कंपनी के निगमन की तारीख तक लिया गया समय (ग-ड.) (दिन)
27.	G37479953	08-03-2017	G30318117	22-12-2016	22-12-2016	20-02-2017	सिविल इंजीनियरों डेवल्पमेंट एसोसिएशन	76
28.	G42451179	02-05-2017	G35585587	15-02-2017	14-02-2017	15-04-2017	चाल्सीडोनी रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	76
29.	G34757914	07-02-2017	G27554054	30-11-2016	30-11-2016	29-01-2017	आस्पोरा नागालैंड लिमिटेड	69
30.	G68358696	15-12-2017	G55550537	10-10-2017	10-10-2017	09-12-2017	बार्गेन टेंट प्राइवेट लिमिटेड	66
31.	G43221977	17-05-2017	G37923596	14-03-2017	11-03-2017	10-05-2017	एसीएटी हाई-टेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	64
32.	G49300965	01-08-2017	G44856482	31-05-2017	30-05-2017	29-07-2017	महाकाल माइक्रो क्रेडिट एसोसिएशन	62
33.	H46548624	09-04-2019	H44137792	07-02-2019	06-02-2019	07-03-2019	एपी सेक्यूरिटस जेके प्राइवेट लिमिटेड	61
34.	H35441658	21-01-2019	H30587943	03-12-2018	30-11-2018	24-12-2018	फास्टवेल प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड	49
35.	G93304855	26-07-2018	G88995345	12-06-2018	07-06-2018	19-07-2018	एससीएसआर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	44
36.	G86219102	07-05-2018	G80995236	28-03-2018	27-03-2018	03-05-2018	जयराम हॉस्पिटेलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड	40

क्र. सं. (क)	एसपीआईसीई ई-फॉर्म का एसआरएन[1] सं. (ख)	एसपीआईसी ई-फॉर्म की आवेदन तारीख (ग)	आईएनसी-1[2] का एसआरएन सं. (घ)	आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (ड.)	आईएनसी पत्र के अनुसार आईएनसी-1 की आवेदन तारीख (च)	आईएनसी पत्र के अनुसार एसआरएन की वैधता (छ)	प्रस्तावित_नाम (ज)	नाम अनुमोदन के लिए आवेदन की तारीख से कंपनी के निगमन की तारीख तक लिया गया समय (ग-ड.) (दिन)
37.	G85740348	03-05-2018	G80681851	27-03-2018	26-03-2018	01-05-2018	पीकाबू फैशन प्राइवेट लिमिटेड	37
38.	H21543566	18-10-2018	H11509775	14-09-2018	13-09-2018	15-10-2018	जीपी शक्ति इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	34
39.	G84625953	26-04-2018	G80571748	26-03-2018	24-03-2018	25-04-2018	एस्ट्रालाइट एलईडी प्राइवेट लिमिटेड	31
40.	G77039246	28-02-2018	G74815234	30-01-2018	27-01-2018	19-02-2018	सीसीएफजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	29
41.	G77794956	05-03-2018	G75922559	08-02-2018	07-02-2018	28-02-2018	बून वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड	25
42.	H50344456	11-04-2019	H47020045	20-03-2019	13-03-2019	09-04-2019	मनीराम रामरतन राठी प्राइवेट लिमिटेड	22

अनुलग्नक-XXVI

(पैरा सं. 3.1.2 में संदर्भित)

प्रमुख रबड़ उत्पादक देशों द्वारा प्राकृतिक रबड़ उत्पादन की स्थिति

(हजार मीट्रिक टन में)

देश	**1980**	**1990**	**2000**	**2010**	**2019**
थाईलैंड	501	1275	2346	3252	4852
इंडोनेशिया	1020	1262	1501	2736	3301
वियतनाम	46	103	291	752	1185
चीन	113	264	445	665	813
भारत	***155***	***324***	***629***	***851***	***702***
मलेशिया	1530	1291	928	939	640
बाकी दुनिया	286	411	624	1211	2202
कुल	**3651**	**4930**	**6764**	**10406**	**13695**
भारत का प्राकृतिक रबड़ उत्पादन वैश्विक उत्पादन के *प्रतिशत* के रूप में	4.25	6.57	9.30	8.18	5.13
भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में दशकीय वृद्धि या कमी	-	169	305	222	-149
भारत में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में *प्रतिशत* वृद्धि या कमी	-	109.03	94.14	35.29	-17.51

अनुलग्नक-XXVII

{(पैरा सं. 3.1.7.1(क) में संदर्भित)}

वर्षवार अनुमानित मात्रा और बीजकों के लिए शामिल सब्सिडी राशि जिसमें डीलरों ने वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान आरयूबीआईएस में अपना रिटर्न दर्ज नहीं किया या शून्य क्रय घोषित किया

वर्ष	आरयूबीआईएस में कोई रिटर्न दर्ज नहीं			आरयूबीआईएस में दर्ज रिटर्न में क्रय के रूप में शून्य मात्रा घोषित		
	उन डीलरों की संख्या जिन्होंने आरयूबीआईएस में रिटर्न दर्ज नहीं किया लेकिन डीबीटीएस के अनुसार इनवॉइस जारी किए	कुल मात्रा जिसके लिए सब्सिडी वितरित/ स्वीकृत है (मीट्रिक टन)	सब्सिडी राशि (₹ करोड़ में)	डीलरों की संख्या जिन्होंने आरयूबीआईएस में रिटर्न में शून्य क्रय की घोषणा की लेकिन डीबीटीएस के अनुसार बिल जारी किए	कुल मात्रा जिसके लिए सब्सिडी वितरित/ स्वीकृत है (मीट्रिक टन)	सब्सिडी राशि (₹ करोड़ में)
2016-17	1,775	42,723.93	89.16	29	1,44,357.30	0.27
2017-18	1,207	28,849.86	60.67	58	3,39,596.64	0.53
2018-19	1,320	38,214.28	92.49	117	4,00,162.96	0.54
2019-20	1,687	29,432.52	52.52	51	20,92,537.66	4.75
कुल	**5,989**	**1,39,220.61**	**294.84**	**255**	**29,76,654.57**	**6.09**

अनुलग्नक-XXVIII
{(पैरा सं. 3.1.7.1(क) में संदर्भित)}

वर्ष-वार अनुमानित मात्रा और बीजको के लिए शामिल सब्सिडी राशि जिसमें डीलरों की आरयूबीआईएस में उनके रिटर्न में क्रय मात्रा उस मात्रा से कम थी जिसके लिए वर्ष 2016-17 से 2019-20 के दौरान सब्सिडी हस्तांतरित की गई थी।

वर्ष	कुल डीलर	कुल मात्रा जिसके लिए सब्सिडी हस्तांतरित की गई (मीट्रिक टन)	हस्तांतरित कुल सब्सिडी राशि (₹ करोड़ में)	औसत सब्सिडी राशि प्रति किग्रा (₹)	आरयूबीआईएस में दर्ज रिटर्न में क्रय की गई घोषित कुल मात्रा (मीट्रिक टन)	सब्सिडी की मात्रा और रिटर्न में दर्शाई गई मात्रा के बीच का अंतर (मीट्रिक टन)	रिर्टन में न दर्शाई गई मात्रा पर हस्तांतरित कुल सब्सिडी राशि (मात्रा में अंतर) (₹ करोड़ में)
क	ख	ग	घ	ड.=घ/ग	च	छ = ग-च	ज= ड. x छ.
2016-17	68	2,128.79	4.27	20.06	835.13	1,293.66	2.60
2017-18	319	13,459.40	27.85	20.69	4,987.37	8,472.03	17.53
2018-19	203	8,004.56	19.25	24.05	3,541.59	4,462.97	10.73
2019-20	115	3,030.07	4.93	16.26	1,682.14	1,347.93	2.19
कुल	**705**	**26,622.82**	**56.30**		**11,046.23**	**15,576.59**	**33.05**

अनुलग्नक-XXIX
(पैरा 4.1 में संदर्भित)

(i) 'यू' डिवीजन द्वारा डीजेबी को जल प्रभार का भुगतान और आवंटियों से वसूल किए गए जल प्रभार

(₹ लाख में)

अवधि	'यू' डिवीजन द्वारा डीजेबी को जल प्रभार का भुगतान	आवंटियों से वसूल किए गए जल प्रभार	अंतर
2010-11	135.30	3.79	131.51
2011-12	124.89	4.40	120.49
2012-13	346.00	4.96	341.04
2013-14	281.54	5.30	276.24
2014-15	950.00	5.38	944.62
2015-16	990.98	6.24	984.74
2016-17	1,385.00	6.32	1,378.68
2017-18	2,034.00	5.92	2,028.08
2018-19	184.61	5.14	179.47
कुल	**6,432.32**	**47.45**	**6,384.87**
महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी के उत्तर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा मामले को उठाए जाने के बाद, ठेकेदारों से वसूली की गई थी			**16.07**
कुल वित्तीय भार			**₹63.69 करोड़**

(ii) जीपीआरए क्वार्टरों के संबंध में जल प्रभारों की वसूली की दरों का विवरण

(राशि ₹ में)

क्षेत्र	जल प्रभार की मासिक लागू दरें		
	टाईप II	टाईप III	टाईप V
यूडीएपी कॉलोनी, नेहरू नगर	-	36 (अंतिम अद्यतन 01.04.2002)	-
लोधी रोड कॉम्प्लेक्स	27 (अंतिम अद्यतन 01.04.1995)	27 (अंतिम अद्यतन की तारीख उपलब्ध नहीं है)	65 (अंतिम अद्यतन 01.12.2006)
प्रगति विहार छात्रावास (डबल सुइट क्वार्टर के लिए)	8.32 (अंतिम अद्यतन की तारीख उपलब्ध नहीं है)	-	-

अनुलग्नक-XXX
(पैरा 4.3 में संदर्भित)

आवंटियों से वसूले गए जल प्रभारों की तुलना में डिवीजन द्वारा किया गया भुगतान

(रुपये में)

डीडीए द्वारा डीजेबी को जल प्रभारों का भुगतान			**डीडीए द्वारा आवंटियों से वसूले जल प्रभार**		
स्रोत	**अवधि**	**राशि**	**स्रोत**	**अवधि**	**राशि**
डीजेबी द्वारा जारी बिलों से (पिछला भुगतान दिखा रहा है)	नवंबर 2012 से 13 दिसंबर 2012*	1,04,930	प्रभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर	नवंबर 2012 से जून 2019	54,93,540
	13 दिसंबर 2012 से 10 फरवरी 2013	2,08,364			
प्रभार द्वारा प्रस्तुत उत्तर	11 फरवरी 2013 से 15 जुलाई 2019	1,02,08,760			
	15 जुलाई 2019 से मार्च 2020	8,35,235		जुलाई 2019 से मार्च 2020	1,49,845 + 1,37,006 = 2,86,851
	कुल (क)	1,13,57,289		कुल (ख)	57,80,391
				वित्तीय भार = (क)-(ख)	55,76,898 अथवा ₹55.77 लाख

****नोट: 17 अप्रैल 2013 को डीजेबी द्वारा जारी बिल में पिछले दो बिलों के लिए भुगतान दिखाया गया है अर्थात् एक बिल 8 जून 2011 से 13 दिसंबर 2012 तक और अन्य बिल 13 दिसंबर 2012 से 11 फरवरी 2013 तक। 8 जून 2011 से 12 दिसंबर 2012 अर्थात् 12 दिसंबर 2012 की अवधि के बिल से 554 दिन, ₹18,58,940 की राशि, 42 दिनों के लिए जल खपत के लिए प्रभार अर्थात् 1 नवंबर 2012 से 12 दिसंबर 2012 तक, आनुपातिक आधार पर ₹18,58,940/ 554*42 अर्थात् ₹ 1,04,930 के रूप में गणना की गई । चूंकि मंडल ने नवंबर 2012 से आवंटियों से की गई वसूली का ब्यौरा उपलब्ध कराया था, इसलिए डीजेबी को किए गए भुगतान की आनुपातिक राशि उसे वसूली की अवधि के अनुरूप बनाने के लिए निकाली गई थी।***

अनुलग्नक-XXXI
(पैरा 5.1.1.2 में संदर्भित)

एटीआई योजना का कुल वित्त पोषण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	प्रशिक्षण के लिए स्वीकृत राशि	प्रशिक्षण के लिए जारी की गई राशि	प्रशिक्षण पर वास्तविक व्यय	स्वीकृत पूंजी परियोजनाओं की राशि	जारी पूंजी निधि
1.	2012-13	71.00	71.00	132.68	51.58	96.87	0.00	0.00
2.	2013-14	102.00	142.00	110.34	114.94	68.54	0.00	0.90*
3.	2014-15	132.00	87.00	124.01	85.44	113.93	0.965	0.81
4.	2015-16	80.00	75.02	46.18	71.97	44.03	0.00	0.90*
5.	2016-17	79.99	43.34	13.59	13.05	13.16	46.186	25.19
6.	2017-18	30.00	5.00	5.00	4.00	3.99	0.00	0.53
7.	2018-19	30.00	23.44	8.01	8.34	7.85	21.87	13.93
8.	2019-20	30.00	30.00	9.99	9.67	9.55	54.54	19.99
कुल		**554.99**	**476.80**	**449.80**	**358.99**	**357.92**	**123.561**	**62.25**

*** वित्त वर्ष 2010-11 में ₹ 2.70 करोड़ की मंजूरी के प्रति ईडीआई, जोट, अरुणाचल प्रदेश को दूसरी और तीसरी (अंतिम) किस्तों के रूप में जारी किया गया**

अनुलग्नक-XXXII
{(पैरा 5.1.2.1(क) में संदर्भित)}

संस्थानों को आवंटित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य

संस्था	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
एनआईईएसबीयूडी	1,737	2,066	2,255	500	-	-	-	-	6,558
एनआईएमएसएमई	1,292	1,062	1,613	1,075	135	130	25	53	5,385
आईआईई	1,222	562	680	-	-	-	-	-	2,464
सीटीआर	308	320	489	325	344	-	59	58	1,903
एनएसआईसी	380	101	54	96	187	137	161	189	1,305
कुल	**4939**	**4111**	**5091**	**1996**	**666**	**267**	**245**	**300**	**17,615**

मंत्रालय ने एनआईईएसबीयूडी को केवल 2015-16 तक और आईआईई को केवल 2014-15 तक प्रशिक्षण निधि प्रदान की

अनुलग्नक-XXXIII
{(पैरा 5.1.2.2(घ)(i) में संदर्भित)}

नवीनतम आंकड़ों में वर्ष-वार और शीर्ष संगठन-वार पाए गए डुप्लीकेट प्रशिक्षु

शीर्ष संस्थान	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
एनआईई एसबीयूडी	3,147	1,392	1,113	252	एनए	एनए	एनए	एनए	5,904
सीटीआरएल	822	839	1,781	839	471	एनए	28	5	4,785
एनआईएम एसएमई	154	265	348	285	155	46	11	1	1,265
आईआईई	281	147	242	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	670
एनएसआईसी	78	12	18	32	12	15	18	35	220
कुल	**4,482**	**2,655**	**3,502**	**1,408**	**638**	**61**	**57**	**41**	**12,844**

अनुलग्नक-XXXIV
{(पैरा 5.1.2.2(घ)(ii) में संदर्भित)}

संस्थान-वार अस्पष्ट डुप्लीकेट मामले

क्र. सं.	देखे गए मामले
1.	**एनआईईएसबीयूडी** लेखापरीक्षा में देखा गया कि सभी प्रशिक्षुओं का विवरण 2012/8821 और 2013/8823 (प्रशिक्षण मॉड्यूल दोनों कार्यक्रमों के लिए 'मोबाइल रिपेयरिंग' था) और 2014/16728 और 2016/22486 (प्रशिक्षण मॉड्यूल दोनों कार्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयरिंग था) कार्यक्रमों में एक-दूसरे के साथ मिलते जुलते थे।
2.	**एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र, चेन्नई (एनएसआईसी की शाखा)** चार कार्यक्रमों (2012/6649, 2011/6694, 2012/6616 और 2012/6664) में 8 प्रशिक्षुओं को एक या दूसरे कार्यक्रम में रिपीट किया गया। कार्यक्रम 2012/6664 को एक ही तारीख अर्थात 20.11.2012 को शुरू व खत्म कर दिया गया था।
3.	**आईआईई** दो कार्यक्रमों (2014/19273 और 2014/19162) में प्रत्येक कार्यक्रम में 30 प्रशिक्षुओं में से 13 के विवरण मिलते जुलते थे।
4.	**एनआईएमएसएमई** चार कार्यक्रमों (2016/71, 2017/50, 2017/51 और 2017/61) में प्रत्येक कार्यक्रम में 30 प्रशिक्षुओं में से 12 के विवरण मिलते जुलते थे।
5.	**विद्युत माप उपकरणों के डिजाइन के लिए संस्थान, मुंबई (सीटीआर का पीआई)** चार कार्यक्रमों (2012/9546, 2012/9538, 2012/9541 और 2012/9539) में प्रत्येक कार्यक्रम में 25 प्रशिक्षुओं में से 9 के विवरण मिलते जुलते थे।

अनुलग्नक-XXXV
{(पैरा 5.1.2.3(क) में संदर्भित)}

संस्थान-वार फंड की स्थिति

(₹ लाख में)

संस्थान	प्रारंभिक जमा	जारी अनुदान	एटीआई निधियों पर अर्जित ब्याज	कुल उपलब्ध धन	व्यय हुआ	धन वापसी राशि	अंतिम शेष
	(1)	(2)	(3)	(4)= (1+2+3)	(5)	(6)	(7) = (4-5-6)
एनआईएमएस एमई	4.75	11954.30	72.29	12031.34	11904.45	0.00	126.89
एनआईईएस बीयूडी	0.00	10695.22	182.65	10877.87	10599.27	0.00	278.60
कुल							**405.49**
आईआईई	5.66	5148.87	0.00	5154.53	5154.52	0.00	0.01
सीटीआर	5.43*	4735.09	8.01	4748.53	4773.09	8.58	(33.14)
एनएसआईसी	0.00	1565.00	13.28	1578.28	1620.44	7.20	(49.36)#
कुल							**(82.49)**
कुल योग	**15.84**	**34098.48**	**276.23**	**34400.42**	**34051.77**	**15.78**	**323.00**

*** सीटीआर ने प्रशिक्षुओं से ₹5.43 लाख का प्रशिक्षण शुल्क लिया।**

 # मंत्रालय ने एनएसआईसी को शेष बकाया राशि जारी की।

अनुलग्नक-XXXVI
(पैरा 8.1 में संदर्भित)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फर्म) को किए गए भुगतान का विवरण

क्र. सं.	बिल		भुगतान की तारीख	अभियान का माह	बिल राशि (€)			कुल बिल राशि (₹)*	कुल वैट राशि (₹)*
	संख्या	तारीख			सकल राशि	वैट	कुल		
1.	2260001238	03.08.2018	16.08.2018	जुलाई 2018	49,154.72	9,339.40	58,494.12	47,05,851.95	7,51,354.73
2.	222617375	03.08.2018	16.08.2018	जून 2018	45,267.29	-	45,267.29	36,77,514.61	0
3.	22600002620	05.09.2018	21.09.2018	अगस्त 2018	42,206.43	8,019.22	50,225.65	40,89,874.68	6,53,005.08
4.	222530813	05.06.2018	02.10.2018	मई 2018	52,725.44	-	52,725.44	43,12,940.99	0
5.	2260003897	02.10.2018	10.10.2018	सितम्बर 2018	25,603.55	4,864.67	30,468.22	24,71,886.69	3,94,670.68
6.	2260005903	05.11.2018	09.01.2019	अक्टूबर 2018	128,668.17	24,446.95	153,115.12	1,31,21,965.80	20,95,103.62
7.	2260008049	04.12.2018	09.01.2019	नवम्बर 2018	29,219.69	5,551.74	34,771.43	30,27,896.12	4,83,445.52
8.	2260009465	03.12.2018	09.01.2019	दिसम्बर 2018	40,982.30	7,786.63	48,768.93	40,57,574.95	6,47,847.62
9.	2260011224	04.02.2019	18.03.2019	जनवरी 2019	43,924.09	8,345.58	52,269.67	43,23,224.41	6,90,262.92
10.	223388716	04.03.2019	18.03.2019	फरवरी 2019	29,718.76	-	29,718.76	24,55,066.76	0
11.	223468809	02.03.2019	29.05.2019	मार्च 2019	105,112.13	-	105,112.13	86,45,472.69	0
12.	223554208	04.05.2019	29.05.2019	अप्रैल 2019	51,077.56	-	51,077.56	40,41,256.55	0
13.	223613981	05.06.2019	28.08.2019	मई 2019	98,699.49	-	98,699.49	78,58,453.39	0

14.	223719668	02.07.2019	28.08.2019	जून 2019	62,876.39	-	62,876.39	49,72,893.69	0
15.	223843053	02.09.2019	11.10.2019	जुलाई 2019	**10,439.14	-	10,439.14	8,34,296.07	0
		कुल			**815,675.15**	**68,354.19**	**884,029.34**	**7,25,96,169.35**	**57,15,690.16**

*** संबंधित माह के लिए विनिमय दर ली गई।**

**** €66.10 के क्रेडिट नोट के समायोजन के बाद (क्रेडिट मेमो संख्या 820190109 दिनांक 3 सितंबर 2019 के माध्यम से)**